लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[दूसरा सत्र
Second Session]

[खंड VIII में अंक 51 से 62 तक हैं
Vol. VIII contains Nos. 51 to 62]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची / CONTENTS

अंक 62 शनिवार, 12 अगस्त, 1967 / 21 श्रावण, 1889 (शक)

No. 62 Saturday, August 12, 1967 / Sravana 21, 1889 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर / ORAL ANSWERS TO QUESTIONS :

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अल्प-सूचना प्रश्न / S.N.Q.		
46 पटसन मिलों के कर्मचारियों को जबरी छुट्टी		
सभा के कार्य के बारे में	Re-Business of the House — ...	1773
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance	1775
10 वर्ग मील भारतीय राज्य क्षेत्र पर पाकिस्तान द्वारा किये गये कब्जे के समाचार	Reported occupation of 10 sq. miles of Indian territory by Pakistan	1775
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua	1775
श्री मु. क. चागला	Shri M. C. Chagla	1775
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1777
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	1781
कार्यवाही सारांश	Minutes ... —	1781
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public Undertakings	1781
कार्यवाही सारांश	Minutes — ...	1782
वित्तीय समिति 1966-67 (एक समिक्षा)	Financial Committee, 1966-67 (A Review) ...	1782
राज्य सभा से सन्देश	Massages from Rajya Sabha	1782
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to Bill	1783
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1964-65	Demands for Excess Grants (Ganeral) 1964-65	1783

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS–Contd.

लोक लेखा समिति	Public Accounts Committee	1784
पांचवा प्रतिवेदन	Fifth Report	1784
प्राक्कलन समिति	Estimates Committee	1784
बारहवां तथा तेरहवां प्रतिवेदन	Twelth and Thirteenth Reports	1784
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public Undertakings	1784
दूसरा प्रतिवेदन	Second Report	1784
सोवियत संघ द्वारा पाकिस्तान को हेलीकाप्टरों की बिक्री के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Sale of Helicopters by USSR to Pakistan	1785
श्री मु. क. चागला	Shri M. C. Chagla	1785
विधेयक पुरःस्थापित	Bills Introduced	1785
(1) एकस्व विधेयक	(1) Patents Bill	1785
(2) विहार तथा उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) विधेयक	(2) Bihar and Uttar Pradesh (Alternation of Boundaries) Bill	1786
(3) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक	(3) Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Bill ...	1786
लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क लगाने के बारे में सांविधिक संकल्प–स्वीकृत	Statutory Resolution Re. Levy of Export Duty on Iron Ore-adopted	1787
श्री दिनेश सिंह	Shri Dinesh Singh	1787
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह	Shri Virendra Kumar Shah	1788
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	1788
श्री स. कुण्डू	Shri S. Kundu	1789
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक	Central Industrial Security Force Bill ..	1790

तारांकित प्र. संख्या / U.S.Q. Nos.	विषय Subject	पृष्ठ/Pages
प्रश्नों के लिखित उत्तर-(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS—Contd.		
संयुक्त समिति को सौंपने के लिये राज्य सभा की सिफारिश से सहमति के लिये प्रस्ताव	Motion to concur in Rajya Sabha recommendation to join in Joint Committee ...	1790
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vidya Charan Shukla	1790
मंहगाई भत्ता आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव-अस्वीकृत	Motion Re. Report of Dearness Allowance Commission-Negatived	1796
श्री म ला, सोंधी	Shri M. L. Sondhi	1796
श्री श्री. अ. डांगे	Shri S. A. Dange	1798
श्री जार्ज फरनेंडीज़	Shri George Fernandes — ...	1799
श्री नाथ पाई	Shri Nath Pai	1800
श्री काशी नाथ पाण्डेय	Shri K. N. Panday	1801
श्री स. मो. बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	1801
श्री नारायण दांडेकर	Shri N. Dandeker	1802
श्री कृष्ण कुमार चटर्जी	Shri Krishna Kumar Chatterjee — ..	1803
श्री कृष्ण मूर्ति	Shri V. Krishnamoorthi	1803
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	1805
श्री वेंकटास्वामी	Shri G. Venkatswamy	1804
श्री जी. भा. कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	1805
श्री अब्दुल गनी दार	Shri Abdul Ghani Dar	1805
श्री मोरारजी देसाई	Shri Morarji Desai	1805
दक्षिण – पूर्व रेलवे के हावड़ा खडगपुर उपनगरीय सेक्शन पर यात्रियों की सुरक्षा के बारे में वक्तव्य	Statement Re. Security of Passengers in Howrah-Kharagpur Section of S. E. Railway	1807
श्री चे. मु. पुनाजा	Shri C. M. Poonacha	1807
भारती शासकीय रहस्य (संशोधन) विधेयक	Indian Official Secrets (Amendment) Bill ...	1815

प्रश्नों के लिखित उत्तर–(जारी)/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS--Contd.

राज्य सभा द्वारा पारित रूप मे विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as Passed by Rajya Sabha	1815
श्री विद्याचरण शुक्ल	Shri Vibya Charan Shukla — ...	1815
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	1815
श्री श्रीचन्द गोयल	Shri Shri Chand Goel	1816
श्री स मो. बनर्जी	Shri S. M. Banerjee	1816
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	Shri Prakash vir Shastri	1816
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	1817
श्री कमलनयन बजाज	Shri Kamalnayan Bajaj	1817
श्री म. ला. सोंधी	Shri M. L. Sondhi	1818
श्री श्रीनिवास मिश्र	Shri Srinibas Misra	1818
खण्ड 2 से 13 तथा 1	Clauses 2 to 13 and 1	1820
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	1820
गन्ना पेरने के गत मौसम में चीनी उद्योग के अपेक्षाकृत कम समय कार्य करने के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रस्ताव	Motion re. Situation arising out of working of Sugar Industry for shorter period during the crushing season	1822
श्री काशीनाथ पाण्डेय	Shri N.K. Pandey	1822
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया	Shri D N. Patodia	1822

लोक-सभा वाद-विवाद का

अनुदित संस्करण

12 अगस्त, 1966 । 21 श्रावण , 1888(शक)

का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ संख्या	शुद्धि
X	नीचे से पंक्ति 4 में 'पुन: स्थापित' के स्थान पर 'पुर:स्थापित' पढ़िये ।
XII	नीचे से पंक्ति 8 से पहले 'श्री बाल्मीकि' पढ़िये ।
13	पंक्ति 25 , 'The Minister of Iron and Steel' के बाद Shri T.N. Singh पढ़िये ।
75	नीचे से पंक्ति 7 से पहले निम्नलिखित पढ़िये:

Disruption of Railway line between Lucknow and Barabanki

2202 Dr. Mahadeva Prasad

Will the Minister of Railways be pleased to state :-

(a) whether it is a fact that railway line between Lucknow and Barabanki was disrupted due to recent rains;

(b) if so, whether the Railway track has now been repaired; and

(c) if so, the total expenditure incurred thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Sham Nath) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Question does not arise.

लोक-सभा
LOK-SABHA

शनिवार, 12 अगस्त, 1967/21 श्रावण, 1889 (शक)
Saturday, August 12, 1967/Sravana 21, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair* }

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

अल्प सूचना प्रश्न
SHORT NOTICE QUESTION

पटसन मिलों के कर्मचारियों को जबरी छुट्टी

+

*46 डा० रानेन सेन :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री जगन्नाथ राव जोशी :
श्री म० ला० सोंधी :
श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :
श्री देवकीनन्दन पटोदिया :
श्री हेम बरुआ :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 जुलाई, 1967 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भारतीय पटसन मिल एसोसियेशन का विचार अगस्त, 1967 से चार महिने के लिए सप्ताह में एक बार पटसन मिलों के कर्मचारियों को जबरी छुट्टी देने का है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) (क) जी, हां ।

(ख) पटसन उद्योग की समस्याओं के सम्बन्ध में सरकार जिस नीति का अनुसरण करना चाहती है उसके बारे में 10 अगस्त, 1967 को इस सभा के पटल पर रखे गये वक्तव्य की ओर ध्यान दिलाया जाता है। उससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि वर्तमान परिस्थितियों में सरकार पटसन के माल के उत्पादन में प्रस्ताविक कटौती को आवश्यक नहीं समझती।

डा० रानेन सेन : पटसन उद्योग कम से कम 100 वर्ष पुराना है। भारतीय पटसन मिल मालिक संगठन के लिये कुछ समय के लिये मिलों को बन्द करना या काम के घंटों में कमी करना एक सामान्य सी बात हो गई है। इस वर्ष पटसन की बहुत अच्छी फसल होने की सम्भावना है। पटसन उत्पादकों का यह विश्वास है कि आने वाले 4 महीनों में एक दिन मिल बन्द करने का उद्देश्य कच्चे पटसन के मूल्यों में कमी करना है। उनके पहले वक्तव्य में दिये गये सुझाव के अतिरिक्त मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बात को देखने के लिये सरकार ने क्या वास्ताविक कदम उठाये हैं ताकि पटसन उत्पादकों को उचित मूल्य प्राप्त करने के सम्बन्ध में कोई धोखा न हो।

श्री दिनेश सिंह : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है, हम इस समस्या से अवगत हैं। इसीलिय मेरे विचार से इस समय इनको बन्द किया जाना उचित नहीं है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है मैं पहले ही यह घोषणा कर चुका हूं कि हम कच्चे पटसन के समर्थक मूल्य 35 रुपये से 40 रुपये पहले ही कर चुके हैं। मैंने उक्त वक्तव्य में यह बताया था कि यदि आवश्यक हुआ तो सरकार इन समर्थक मूल्यों पर सब पटसन खरीद लेगी।

डा० रानेन सेन : कुछ समय पूर्व भारतीय पटसन मिल संगठन ने इस सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल सरकार से यह निवेदन किया था और सरकार ने जांच अधिनियम के अन्तर्गत एक जांच आयोग की स्थापना की थी। राज्य सरकार द्वारा की गई इस जांच के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री दिनेश सिंह : इस सम्बन्ध में हुई केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया के सम्बन्ध में कुछ बताना कठिन है। मैं तो केवल इस सम्बन्ध में तथ्य ही दे सकता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : माननीय मंत्री द्वारा सभा पटल पर रखे गये वक्तव्य में यह कहा गया था कि आने वाले एक सप्ताह के लिये व्यापार को बन्द कर दिया गया है। क्या यह तथ्य नहीं है कि पटसन निर्यात में कठिनाई होने का मुख्य कारण वायदे बाजार में अत्यधिक अनुमान लगाया जाना है। क्या उनका ध्यान श्री एस० के० घोष द्वारा ईस्ट इंडिया जूट हेसेन एक्सचेंज की वार्षिक बैठक में दिये गये भाषण की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें उन्होंने वायदा बाजार के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया है कि :—

'बहुत अधिक सट्टे के कारण कीमत में बहुत उतार चढ़ाव होता है और इससे निर्यात व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ता है"

क्या मंत्री महोदय का यह विचार है कि वायदे बाजार को एक सप्ताह बन्द कर वह सट्टे को समाप्त करने में सफल होंगे, क्योंकि ऐसा किये बिना निर्यात व्यापार में वृद्धि नहीं हो सकती।

श्री दिनेश सिंह : मैंने अपने वक्तव्य में यह कहा कि हम उसे तब तक बन्द रखेंगे जब तक आवश्यक होगा। हमने इसके बन्द रखने की सीमा पहले ही बढ़ा दी है।

Shri Jagannath Rao : We have great competition with Pakistan in the matter of jute. Pakistan goods are sold at cheaper rate as compared to India. Our industrialists are suffering a lot as a result of it. I want to know whether some suggestions have been made to the Government to export more jute as compare to Pakistan. If so, what are those suggestions and the reactions of the Government in that matter ?

Shri Dinesh Singh : It is a fact that Pakistan have been selling anti goods at cheaper rate as compare to India. They first of all know or rates and then sell the goods at cheper rates. They manufacture goods in small quantity whereas we manufacture in large quantity. We do not like to enter into a price war with Pakistan in that case none of us will gain. In that case only the purchaser will be benefited. We think that we should sell our goods at appropriate prices and we are doing that.

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : माननीय मंत्री ने अभी बताया कि वह पाकिस्तान के साथ मूल्यों के सम्बन्ध में मुकाबला नहीं करना चाहते क्योंकि सिर्फ मूल्यों में कमी का ही प्रश्न है। क्या यह तथ्य नहीं है कि हमारे मूल्य कितने ही कम क्यों न हो, भारत द्वारा उत्पादन शुल्क लगाये जाने के परिणामस्वरूप निर्यात व्यापार घट रहा है और पाकिस्तान द्वारा प्रोत्साहन देने के परिणाम स्वरूप पाकिस्तान का निर्यात व्यापार बढ़ रहा है ? क्या इन दो तीन वर्षों में इन्हीं कारणों से भारत का व्यापार असंतुलित हो गया है और जब कि पाकिस्तान के निर्यात में वृद्धि हो रही है, हमारा निर्यात घट रहा है। यदि यह तथ्य है तो पाकिस्तान से मूल्यों में मुकाबला न करने के अतिरिक्त, असंतुलन को और कम करने के लिये और क्या विशेष कदम उठाये गये हैं ?

हम क्या कदम उठा कर इस असंतुलन को कम कर सकते हैं ?

श्री दिनेश सिंह : केवल सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही से ही असंतुलन कम हो सकता है। हमने कुछ सीमा तक निर्यात शुल्क में कमी की है। वास्तव में हम पटसन उद्योग में मूल्य निर्धारण करने वाले हैं। पाकिस्तान द्वारा मूल्य कम करने के बाद भी इस उद्योग में हमें काफी लाभ है। इस सम्बन्ध में हमें नई वस्तुओं का उत्पादन करना चाहिये और नई वस्तुओं का निर्यात करना चाहिये जैसे हमने गलीचे इत्यादि के निर्यात में विकास किया है। हमें अपने उत्पादन के लिये नये तरीके का विकास करना पड़ेगा।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : क्या माननीय मंत्री यह बतायेंगे कि पिछले नौ वर्षों में भारत द्वारा किये जाने वाले पटसन का निर्यात 82 प्रतिशत से घट कर 58 प्रतिशत रह गया है जब कि पाकिस्तान द्वारा किये जाने वाले पटसन का निर्यात 7 प्रतिशत से बढ़ कर 33 प्रतिशत हो गया है और आशा की जाती है कि 1970 में यह 50 प्रतिशत हो जायेगा। विशेष कर बोरियों का निर्यात जो 1955 में 4,45,00 टन था 1966 में घट कर 1,73,-000 टन रह गया है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री इस बात से सहमत है कि भारत में रूपान्तर लागत कम होने के बावजूद भी भारत द्वारा उत्पादन शुल्क

लगाये जाने के कारण और पाकिस्तान द्वारा प्रोत्साहन दिये जाने के परिणाम स्वरूप यह असंतुलन है।

श्री दिनेश सिंह : मैं कुछ आंकड़े देना चाहूंगा जो सभा के लिये हित कर होंगे। मैं पिछले चार वर्षों के आंकड़े दूंगा। 1963–64 में पाकिस्तान ने लगभग 244,000 टन का निर्यात किया और हमारा निर्यात उस समय 913,000 टन था। पिछले वर्ष जब कि कच्चे पटसन की कमी थी हमने 734,000 टन का निर्यात किया जब कि पाकिस्तान ने 3,79,900 टन का निर्यात किया। अतः भारत और पाकिस्तान द्वारा निर्यात किये जाने वाले पटसन में बहुत अन्तर है, पटसन उद्योग को न केवल भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले का सामना करना पड़ रहा है बल्कि और चीजों में भी, अतः इसको बढ़ाने के लिये हमें नये बाजारों को ढूंढना चाहिये। और केवल बोरियों के निर्माण पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिये क्योंकि पाकिस्तान में बोरियों का बड़े पैमाने पर निर्माण किया जाता है। हमें नई वस्तुएं जैसे कालीन इत्यादि का उत्पादन करना चाहिये। यह बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है और इस उद्योग के नेताओं से इनके लिये नये बाजार ढूंढने के सम्बन्ध में हमारे लगातार सम्पर्क रहे है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : मेरा यह प्रश्न था कि क्या यह तथ्य है कि विश्व में किये जाने वाला निर्यात 1957 में 82 प्रतिशत था जब कि 1966 में वह घट कर 58 प्रतिशत रह गया है।

श्री दिनेश सिंह : मैंने इस सम्बन्ध में आंकड़े प्रस्तुत किये है।

श्री हेम बरुआ : पाकिस्तान से स्पर्धा के कारण भारत पटसन की अन्तर्राष्ट्रीय मंडियों को खो रहा है। सरकार मास्त की घटती हुई मंडियों में पुर्नजीवन प्रदान करने के लिये क्या सक्रिय कदम उठा रही है। चाहे वह नई मंडियों में निर्यात किया जाना ही न हो। क्या सरकार का यह विचार है कि उसके द्वारा प्रस्तावित निर्मित पटसन के समान का स्टाक करने से समस्या का किसी प्रकार हल सम्भव है ?

श्री दिनेश सिंह : अब हमें पटसन के निर्यात में वृद्धि करने के लिये नये तरीकों को खोजना है। इस सम्बन्ध में मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। 'हेसेन' की स्थिति की ओर ध्यान दें। इस तरह यह नया विषय नहीं है, परन्तु हमें इससे कुछ लाभ है। हमें बोरियों को निर्यात करने में अब लाभ नहीं है क्योंकि पाकिस्तान में बोरियों का उत्पादन बहुत बढ़ गया है। अतः हमारे उद्योग के लिये ऐसा मार्ग का ढूंढना लाभदायक है जिसमें हमें कम स्पर्धा का सामना करना पड़े।

श्री हेम बरुआ : हमें यह अवश्यक जानना चाहिये कि हम पाकिस्तान के मुकाबले में पटसन के निर्यात में पिछड़ गये हैं परन्तु माननीय मंत्री ने इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। अब हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार भारत की घटी हुई मंडी में पुर्नजीवन का संचार करने के लिये क्या ठोस कदम उठा रही है ?

श्री दिनेश सिंह : मेरे विचार से इस सम्बन्ध में कुछ गलत फहमी हुई है। मेरे कहने का उद्देश्य केवल यह है कि इसको पुर्नजीवन के संचार का प्रश्न नहीं समझना चाहिये परन्तु यह नये मार्ग अपनाने का प्रश्न है। इसलिये हम लगातार इस ओर ध्यान दे रहे हैं।

Shri Sidheswar Prasad : Whether the attention of the Government have been drawn to the fact that the jute crops is expected to be very promising this year and if the Government do not take the decision to pay the farmers good prices for their jute, there may be less production of jute next year and the factories may be closed. The arrangements made by the State Trading Corporation are not enough. If his attention has been drawn to this fact, what arrangements have been made by him in this regard ?

Shri Dinesh Singh : I have just mentioned that the support price has increased from rupees 35 to rupees 40. I also mentioned that the Government will purchase all the jute at that price.

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : डा० सेन के प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया था कि वह पटसन उत्पादकों को, यदि आवश्यक हुआ तो समर्थक मूल्य देंगे। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह तथ्य नहीं है कि बढ़ते हुए लागत व्यय को ध्यान में रखते हुए कलकत्ते में आसाम 'बाटम जूट' का मूल्य 40 रुपये निर्धारित किया जाना बहुत कम है ? क्या वह स्थिति का पूर्नविलोकन करेंगे क्योंकि वास्तव में उड़ीसा और आसाम के पटसन उत्पादकों को, यह मूल्य कलकत्ते में निर्धारित होने के कारण, प्राप्त नहीं हो रहा है।

श्री हेम बरुआ : हमारी उपेक्षा की जा रही है।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी : क्या इसका पुर्नविलोकन किया जायेगा और आसाम और उड़ीसा के उत्पादकों को भी यही मूल्य मिले, इस बात को देखने के लिये सरकार कोई कदम उठायेगी ?

श्री दिनेश सिंह : हम यह नहीं मानते कि 40 रुपये की राशि जो निश्चित की गई है, वह कम है। कृषि मूल्य आयोग ने इस प्रश्न पर विचार किया था और जो मूल्य उसने सुझाये थे सरकार ने उससे अधिक मूल्य स्थिर किया है। सरकार, यदि आवश्यकता होगी तो इसी मूल्य पर जूट खरीदेगी।

श्री म० ला० सोंधी : मंत्री महोदय उद्योग से यह कहते चले आ रहे हैं कि उसे नये संसाधन खोजने चाहिये, परन्तु यह कह कर वह अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। जूट के उद्योग में लाखों व्यक्ति लगे हुए हैं इसलिये पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिरता बनाये रखने के लिये यह आवश्यक है कि वहां उन लोगों के रोजगार को सुरक्षित रखा जाये। इस दृष्टि से स्वयं मंत्री महोदय नये क्षेत्र और नये उत्पादों के विकास के लिये क्या उपाय शीघ्र करने वाले हैं ?

श्री दिनेश सिंह : क्या यह वांछनीय है कि मैं विस्तार से उन नये क्षेत्रों का जिक्र करूं जिसमें वह उद्योग प्रवेश कर सकता है।

श्री ह० प० चटर्जी : क्या यह सच है कि केन्द्रीय जूट समिति ने कच्चे जूट और धान का मूल्य समता मूल्य के आधार पर निश्चित किया था। अब धान 100 रुपये प्रति मन के हिसाब से बेचा जा रहा है, और जूट का मूल्य 40 रुपये निर्धारित किया गया है। मंत्री महोदय धान और जूट के मूल्य समता-मूल्य के आधार पर निश्चित करने के लिये क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री दिनेश सिंह : इस बात पर भी ध्यान दिया गया था। कृषि मूल्य आयोग ने भी इन सब बातों पर विचार किया था। इसलिये सरकार ने, जो मूल्य आयोग ने सुझाये थे, उनसे अधिक मूल्य स्थिर किये हैं।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी : मेरे निर्वाचन क्षेत्र में अनेक जूट मिल हैं। भारतीय जूट मिल एसोसिएशन सदैव श्रमिकों को यह धमकी देता रहता है कि श्रमिकों को हटा दिया जायेगा। वे मिल को कभी कभी बन्द भी कर देते हैं। सरकार श्रमिकों को इस स्थायी धमकी से मुक्त करने के लिये क्या प्रभावी कदम उठायेगी ?

श्री दिनेश सिंह : मैंने जो वक्तव्य दिया था उससे इस प्रकार की गलत फहमियां दूर हो जानी चाहिये।

श्री म० ऊभरसे : जूट की अच्छी फसल को देखते हुए क्या सरकार जूट के निर्यात पर विचार करेगी ?

श्री दिनेश सिंह : यदि यह आवश्यक हुआ तो इस पर विचार किया जायेगा।

Shri Balraj Madhok : May I know whether Government have made any assessment about the total capacity of production as also total production of jute ? What is the co-relation between them ? What is the total requirement of our jute mills and how much jute we are producing at persent ? Have the Government made some arrangements to extend the acreage of jute so that mills may get enough raw jute and the jute-growers may get proper price ?

Shri Dinesh Singh : We have got all figures with us. But it is not possible for me to give them here. If the hon. Member wants, I can send the figures to him. At the same time I would like to mention that the production per acre in India is less than what it is in other countries.

Shri D. N. Tiwary : "Whenever there is more production, the price of Jute falls down. When the rate of Jute is Rs. 40/- in Calcutta, the Just growers in Bihar do not get more than Rs. 30/- . Because they do not know Bgngall language and the intermediaries take the advantage. May I know whether Government will look into it ?

Shri Dinesh Singh : We have not got any complaint about it. However, we will issue instructions to Bihar Government to look into this matter.

श्री सु० कु० तापडिया : हमारे देश में जूट तैयार करने में पाकिस्तान की अपेक्षा कम लागत आती है, परन्तु निर्यात मूल्य हमारे देश के पाकिस्तान से लगभग तीस प्रतिशत अधिक है। इसका क्या कारण है। भारी कर या उत्पादन शुल्क या कुछ और ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य ने फिर गलत जानकारी दी है। भारत और पाकिस्तान में जूट के मूल्य समान नहीं हैं, पाकिस्तान में जूट बहुत अधिक सस्ता है।

Shri Kanwar Lal Gupta : May I know the increase in the export as a result of steps taken by Government to boost the export of Jute ?

Shri Dinesh Singh : The price of Jute exported in 1963-64 was 326.8 million, it was 354.5 million dollars in 1964-65 and 383.1 million in 1965-66. Last year it has come down. It was 334.4 million.

सभा के कार्य के बारे में
RE : BUSINESS OF THE HOUSE

श्री बाकर अली मिर्जा : (सिकंदराबाद) : शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन से लाखों लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि इस विषय को सबसे पहले लिया जाये।

श्री वासुदेवन नायर (पीरमाडे) : माननीय मंत्री ने कहा है कि सरकार 15 अगस्त को शिक्षा सम्बन्धी अपनी नीति की घोषणा कर रही है, यह घोषणा तब तक स्थगित कर दी जानी चाहिये जब तक लोक सभा को इस पर चर्चा के लिये अवसर न मिले।

Shri Ram Avtar Shastri (Patna) : On a Point of order, Sir. It has appeared in the newspapers that thousands of persons of Madhesh a town in Nepal-Bihar boarder have been made victim of atrocities. I had tabled a Short Notice Question in this connection but it has not been admitted. I would like to know where else can we raise such an important Question.

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : माननीय सदस्यों के 15 अगस्त को नीति सम्बन्धी घोषणा किये जाने के बारे में सन्देश पर ध्यान देना होगा। हम इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के विचार शिक्षा मंत्री तक पहुंचा देंगे।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : हम चार सदस्यों ने उड़ीसा की स्थिति के बारे में स्थगन प्रस्ताव रखा था। वहां आतंक का शासन चल रहा है। हम जानना चाहते हैं कि स्थगन प्रस्ताव का क्या बना।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर): मैं यह मामला पहले आपके ध्यान में लाया था।

अध्यक्ष महोदय : आप के इसे बिना उचित अनुमति के उठाया था। माननीय मंत्री सायंकाल 5 बजे इस पर वक्तव्य दें।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : शिक्षा तथा शिक्षा के माध्यम के प्रश्न को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैंने प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर पश्चिमी बंगाल के मंत्रियों द्वारा धरना का प्रश्न कल उठाया था। आशा है कि उसके सम्बन्ध में कोई वक्तव्य दिया जावेगा। मैं आपका ध्यान मंत्रियों द्वारा आकाशवाणी से भाषण के विषय पर 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित समाचार की ओर भी दिलाना चाहता हूँ।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड टार्बर) मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप प्रधान मंत्री से इस बात की पुष्टि के सम्बन्ध में कुछ कहने के लिये कहें कि केन्द्रीय सरकार पहले दिये गये वचन के अतिरिक्त पश्चिमी बंगाल सरकार को 10,000 टन खाद्यान्न दे रही है ।

श्री समर गुह (कन्टाई) पश्चिमी बंगाल के नागरिक जीवन में लगभग गतिरोध आ गया है । वहां स्थिति बहुत गम्भीर है । इसलिये मैं खाद्य मंत्री अथवा प्रधान मंत्री से निवेदन करता हूँ कि वह आज एक वक्तव्य दें अन्यथा आप हमें यह नहीं कह सकेंगे कि आप ने स्थिति के बारे में पहले जानकारी नहीं दी ।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) पश्चिमी बंगाल, केरल तथा बिहार जैसे कई अन्य राज्यों में खाद्यान्न की बहुत कमी है । मैंने आज समाचार पत्रों में पढ़ा है कि पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने प्रधान मंत्री तथा खाद्य मंत्री को सूचना दी है कि यदि खाद्यान्न के सम्बन्ध में उनकी मांग पूरी की गई तो वहां के कुछ मंत्री यहां आकर उसी प्रकार का प्रदर्शन करेंगे जैसा कि हमारे कुछ साथियों ने उनके निवास स्थान पर किया है । यदि ऐसा हो तो संविधान का क्या सम्मान रह जाता है । क्या मंत्रियों का यह काम नहीं है कि अपने अपने राज्यों में विधि तथा व्यवस्था बनाये रखें । यदि मंत्री धरना हड़ताल अथवा घेरावों करने लगे तो यह हमारे लोकतन्त्र का अन्त होगा । उन्हें इस प्रकार असंवैधानिक तथा अनैतिक कार्य नहीं करने चाहिये ।

प्रधान मंत्री तथा अणु-शक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : जो कुछ श्री रंगा ने कहा है, मैं उसके साथ सहमत हूँ । यदि धरना से चावल तथा गेहूँ का उत्पादन हो सके तो मैं इसका स्वागत करूंगी । जहां तक हो सके, हम खाद्यान का नियतन बढ़ानें का प्रयत्न कर रहें हैं । जैसे भी हों, हम खाद्यान्न प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं । परन्तु सब से महत्वपूर्ण बात यह हैं कि उसके लिये परिवहन की व्यवस्था की जाये । खाद्य मंत्रालय इसके लिये पूरा प्रयत्न कर रहा है और बंगाल सरकार भी इस प्रयोजन के लिये एक अधिकारी भेज रही है ।

Shri Ram Sewak Yadav(Barabanki): Sir, Hindi is the official language of India and also of Uttar Pradesh, but Reserve Bank of India has written a letter the Finance Minister of Uttar Pradesh in which he wrote that it would be difficult for their offices to take prompt action on a letter written in Hindi.

They have further written, "we shall be glad if you Kindly address all your correspondence to the offi es of the Banks in English. If, however, your Government chooses to use Hindi language for their officel correspondence, such letters should be accompanied by a translation in English duly attested by the signing officers as approved by Central Government. so far as the Bank is concerned, correspondence in English language will be taken as authentic for all purposes."

This amounts to gross violation of articles 343-344 of the Constitution.

Dr. Govind Das (Jabalpur) : On the 29 th May, 1966. the then Minister of Home Affairs, Shri Gulzari Lal Nanda classified that since Hindi was our national language no correspondence in Hindi shall be disallowed and English translation of Hindi correspondence will not be required. such a letter of the Reserve Bank is therefore, a gross disrespect to the Constitution.

श्री अंबाजागन (तिरूचेंगोड) : सरकार अभी तक भाषा विधेयक प्रस्तुत नहीं कर रही है । मै चाहता हूं कि प्रधान मंत्री दक्षिण भारत के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखे । जब तक अंग्रेजों को भी देश की सरकारी भाषा स्वीकार न किया जाये तब तक यह समस्या हल नहीं होगी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं भाषा के मामले पर और अधिक बोलने की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री जे० एच० पटेल (शिभोगा) : **कन्नड़ में बोले**

अध्यक्ष महोदय **कन्नड़ में बोले**

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Shri Ram Sewak Yadav raised the question of Reserve Bank of India I would like to know from the Finance Minister,

अध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न पहले ही उठाया जा चुका है । कृपया आप बैठ जाइये ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्द्याल) : मैंने दो दिन पूर्व उड़ीसा के ब्रह्मपुर जिले में भाषाई अल्प संख्यकों को तंग किये जाने के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना दी थी । मैं आप के सामने यह कठिनाई रखना चाहता हूं ।

श्री शिवाजी राव शं० देशमुख (परमजी) इस सभा के 50 सदस्यों के कृष्णा-गोदावरी जल विवाद के बारे में ध्यान दिलाने वाली सूचना दी थी परन्तु उसे अस्वीकार कर दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मन्त्री ने इसका उत्तर पहले ही दे दिया है ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTING TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

10 वर्ग मील भारतीय क्षेत्र पर पाकिस्तान द्वारा किये गये कब्जे के समाचार

श्री हेम बरुआ (मंगलदायी) मैं वैदेशिक कार्य मन्त्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें:--

त्रिपुरा के मोजा इचाईचारी–पटिचारी के 10 वर्ग मील भारतीय राज्य क्षेत्र पर पाकिस्तान द्वारा किये गये कब्जे के समाचार"

वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री मु० क० चागला) : विभाजन के पश्चात् से ही पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान की सीमा पर त्रिपुरा में फेनी नदी के मुहाने पर स्थित 10 वर्ग मील नदी

बल्कि 5 वर्षा मील पर अपना दावा करता आ रहा है। वहां अभी तक सीमा निर्धारित नहीं की गई है। पाकिस्तान का दावा है कि उसकी सीमा रंगा फेरी तक है जबकि हम कहते हैं कि अमारोंग नहर ही त्रिपुरा तथा पूर्वी पाकिस्तान की बीच सीमा निर्धारित करती है।

1959 में मन्त्री स्तर के सम्मेलन में यह मान लिया गया था कि दोनों सरकारें इस समस्या से सम्बन्धित रिकार्ड को और आगे देखें। दोनों पक्षों द्वारा रिकार्ड का निरीक्षण किया गया किन्तु दोनों सरकारों के प्रतिनिधि दोनों को स्वीकार्य किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके।

अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के सीमांकन होने तक इस क्षेत्र में शक्ति बनाये रखने के उद्देश्य दोनों ओर के असैनिक प्राधिकारियों ने 24 अगस्त, 1958 को यह निर्णय किया कि विवादास्पद भू-भाग के सम्बन्ध में यथास्थिति बनाई रखी जाये किन्तु पाकिस्तान ने उस समझौते का पालन नहीं किया। उस समझौते पर हस्ताक्षर करने के पश्चात शीघ्र ही उसकी पुलिस उस क्षेत्र में घुसपैठ आरम्भ कर दी। कुछ गम्भीर घटनाओं के पश्चात् 15 अक्टूबर, 1962 को युद्ध विराम का एक समझौता हुआ था। उस समझौते में यह भी व्यवस्था थी कि दोनों पक्षों की सभी सेवायें विवादास्पद क्षेत्र से पीछे हट जाये। पाकिस्तान सरकार ने समझौते का फिर पालन नहीं किया। उसने वहां न केवल सेवा का जमाव कर लिया बल्कि वहां अपनी नागरिक योजना तथा लगान तथा मकान कर वसूल करना भी आरम्भ कर दिया। यह विषय पाकिस्तान सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर उठाया गया किन्तु उसमें कोई सफलता नहीं मिली।

ताशकन्द समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने के पश्चात् दोनों देशों के सेक्टर कमांडर 1 फरवरी, 1966 को आपस में मिले और उसके बाद 13 फरवरी, 1966 को भी मिले। दोनों पक्ष इस क्षेत्र में यथा स्थिति बनाये रखने के लिये सहमत हो गये। उसके पश्चात अब तक इस बारे में कोई घटना नहीं हुई।

श्री हेम बरुआ : 15 अक्तूबर 1962 को युद्ध विराम समझौता हुआ था और उसके अन्तर्गत यथापूर्व स्थिति बनाये रखने की व्यवस्था थी। इस समझौते का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तान ने इस पांच वर्गमील के समूचे क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया है इस सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या कारण है कि सरकार पाकिस्तान से यह स्पष्टरूप से क्यों नहीं बता देती कि उसने युद्ध-विराम समझौते का उल्लंघन किया है और यदि वह लगातार इस प्रकार समझौते का उल्लंघन करता रहा तो भारत को इस क्षेत्र पर पुनः अधिकार करने के लिये अपनी सेनाएं भेजनी पड़ेगी क्योंकि कंडक्तिपर पंचायत के अनुसार यह क्षेत्र भारत को मिला है।

श्री मु० क० चागला : हमने पाकिस्तान को विरोध-पत्र भेजा है और उसे यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि उसने यथापूर्ण स्थिति तथा युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन किया है।

श्री हेम बरुआ : क्या वह विरोध पत्र भेजने के अलावा अपनी सेनाएं भेज उस क्षेत्र पर पुनः अधिकार करेंगे ?

श्री मु० क० चागला : हम राजनैतिकस्तर पर पाकिस्तान को इस क्षेत्र से हटाने के लिए जोर दे रहे हैं जिनपर उसने गैर कानूनी कब्जा कर लिया है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I would like to know whether the Government will occupy Pakistans' territory, wherever it is possible, equal to the Indian territory occupie t by Pakistan ? If this is done I hope only then we can reach at an honourable settlement with Pakistan.

श्री मु० क० चागला : माननीय सदस्य सैनिक संघर्ष का सुझाव दे रहे हैं । हम अब तक जिस नीति पर चल रहे हैं यह उसके विरुद्ध है । अतः पाकिस्तानी क्षेत्र पर कब्जा करने का अर्थ अपनी नीति में एक बड़ा परिवर्तन करना होगा ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Saddar) : The hon. Minister has stated that only five square miles of our territory are in the occupation of Pakistan whereas the Chief Minister of Manipur has stated that almost double the area is in their occupation. I would like to know that how far it is justified to conceal facts from the House. I would also like to know whether it is not the policy of the Government to deal with Pakistan on reciprocal basis and if this is not our policy and if Pakisten does not pay any heed to our protest note, then what action Government propose to take in this direction.

श्री मु० क० चागला : विवरण में हमने स्पष्टरूप से बताया है कि कौन कौन से क्षेत्र विवादग्रस्त है और किन-किन क्षेत्रों पर विदेशियों का अधिकार है । उस विवरण में इस क्षेत्र को पाकिस्तान के अधिकार में दिखाया गया है ।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मैं चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री इस बारे में कुछ कहें । हम इस बारे में स्पष्ट आश्वासन चाहते हैं कि देश के किसी भाग पर पाकिस्तान को अधिकार नहीं करने दिया जायगा । यह आश्वासन प्रधान मन्त्री को देना चाहिए ।

Shri Kanwar Lal Gupta : My question has not been answered.

अध्यक्ष महोदय : अब कुछ नहीं लिया जायेगा ।

Shri Kanwar Lal Gupta * *

सभापटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE

साइजड सुपर फाइन और फाइन सूत पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि

उप-प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं साइजड सुपर फाइन और फाइन सूत पर उत्पादन शुल्क में वृद्धियों और उससे प्राप्त होने वाले अनुमानित अतिरिक्त

** कार्यवाही के वृत्तान्त में सम्मिलत नहीं किया गया ।

** Not recorded.

राजस्व के सम्बन्ध में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०1442/67]।

रूस की सहायता से बनाई जाने वाली परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब

श्री मोरारजी देसाई : मैं रूस की सहायता से बनाई जाने वाली परियोजनाओं के निष्पादन में विलम्ब के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1459/67]

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj): I have written two three letters to you in regard to the statement laid on the Table of the House to day and have also pointed out the mistakes committed by the hon. Deputy Minister. Now I request that the hon. Minister may brief the House in regard to his statement and I may also be allowed to speak on that statement.

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर कई पत्र रखे जाते हैं। यदि सभी को पढ़कर सुनाया जाने लगा तो बहुत कठिनाई उत्पन्न हो जायेगी। यदि माननीय सदस्य पत्र लिखकर पता कर लें तो अच्छा होगा। अन्यथा आप अगली इस प्रश्न को उठा सकते हैं।

श्री मोरारजी देसाई : मैंने डा० लोहिया के अनुरोध पर ही यह विवरण सभा पटल पर रखा है।

केन्द्रीय बायलर बोर्ड के सदस्यों का (नाम निर्देशन) नियम तथा हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड दीवान का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा

मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं

(1) भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 28क की उप-धारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय बायलर बोर्ड (सदस्यों का नाम निर्देशन) नियम, 1967 की प्रति, जो दिनांक 22 जुलाई 1967, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1094 में प्रकाशित हुए थे। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल. टी. 1443/67]।

(2) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, बर्दवान, के 1965–66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखा परीक्षित, लेखे तथा उनपर नियंत्रक महालेख परीक्षक की टिप्पणियां।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1444/67]

भारतीय शादी सर्वेक्षण समिति के प्रतिवेदन में दर्ज मुख्य सिफारिशों के बारे में विवरण

पैट्रोलियम और रसायन योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुरामैया) मैं श्री अशोक महता की ओर से भारतीय शक्ति सर्वेक्षण समिति 1965 के प्रतिवेदन में दर्ज मुख्य सिफारिशों के सम्बन्ध में, उन पर की गई अथवा की जाने वाली कार्यवाही के ब्यौरे सहित एक विवरण सभा पटल पर रखता हूँ। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1445/67]**

छोटे समाचार पत्रों सम्बन्धी जांच समिति की सिफारिशें

सूचना तथा प्रसारण मन्त्री (श्री के० के० शाह) : मैं छोटे समाचार पत्रों सम्बन्धी जांच समिति की 34 सिफारिशों और उन पर सरकार के निर्णयों का एक विवरण सभा पटल पर रखा हूँ। **]पुस्ताकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1446/67] :**

भारतीय तार यन्त्र (चौथा संशोधन) नियम

संसद-कार्य तथा संचार मन्त्री (डा० राम सुभग सिंह) : मै भारतीय तार यन्त्र अधिनियम, 1885, की धारा 7 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तार यन्त्र (चौथा संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ, जो दिनांक 29 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1124 में प्रकाशित हुये थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1447/67]**।

वर्ष 1965-66 के लिए दिल्ली विकास प्राधिकार का वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मन्त्री (श्री जगन्नाथ राव) : मैं दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 26 के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकार के वर्ष 1965-66 के वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 1448/67]**।

कर्मचारी भविष्य निधि (पांचवा संशोधन) योजना

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र) : मैं कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (पांचवा संशोधन) योजना, 1967 की एक प्रति सभापटल पर रखता हूं, जो दिनांक 22 जुलाई, 1967, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1103 में प्रकाशित हुई थी **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1449/67]**

सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० 1176 की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं जो दिनांक 5 अगस्त, 1967, के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1450/67]**।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I rise on a point of Order. I want a decision on the chair whether direction 115 have been abolished ? If it has not been abolished then the hon. Minister cannot give a statement neo-moto. The member pointing out the mistake should also be allowed to speak.

अध्यक्ष महोदय : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। मुझे निर्णय देने की अब कोई आवश्यकता नहीं है।

वर्ष 1965-66 के लिए भारतीय केन्द्रीय कपास समिति का वार्षिक प्रतिवेदन

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) भारतीय केन्द्रीय कपास समिति के वर्ष 1965–66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1451/67]**

(2) भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति के वर्ष 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। **पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1452/67]**

(3) भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति के वर्ष 1964–65 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1453/67]**।

(4) कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के 1965 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रण महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1454/67**

निवारक निरोध अधिनियम की क्रियान्विति के बारे में संशोधित

सांख्यिकीय सूचना

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं 30 सितम्बर, 1965 से 30 सितम्बर, 1966 तक की अवधि में निवारक निरोध अधिनियम, 1950 की क्रियान्विति के बारे में संशोधित सांख्यिकीय सूचना की एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1455/67]**

प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष (संशोधन) नियम

शिक्षा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शेर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं।

(1) प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष अधिनियम, 1958, की धारा 38 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष (संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति, जो दिनांक 13 मई, 1967, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 663 में प्रकाशित हुये थे।

(2) उक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण। **[पुतस्कालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 1456/67]**

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

वाणिज्य मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री मुहम्मद शफ़ी कुरेशी) : मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12क के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2774 की एक प्रति सभा-पटल पर रखूंगे जो दिनांक 8 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। **पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 1457/67]**

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : गत आठ वर्षों से बड़ौदा के संग्रहालय के लिए कुछ नहीं किया गया है। मैं इस प्रश्न को पहले भी तीन बार उठा चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस पर चर्चा चाहते हैं।

भूतपूर्व भारतीय सेना के अधिकारियों के जो आजाद हिन्द फौज में शामिल हो गये थे, के वेतन तथा भत्तों के बारे में विवरण

प्रतिरक्षा मन्त्री (स्वर्ण सिंह) : मैं भूतपूर्व भारतीय सेना अधिकारियों तथा कर्मचारियों के जो आजाद हिन्द फौज में शामिल हो गये थे; जब्त किए गये वेतन तथा भत्तों के प्रत्यावर्तन के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं। **पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1958/68]**

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

कार्यवाही सारांश

श्री पं० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल) : श्रीमान्, मैं रेलवे मन्त्रालय—वाणिज्यिक तथा भारतीय रेलवे से सम्बन्धित अन्य सम्बद्ध मामले—सम्बन्धी 10 वें प्रतिवेदन के बारे में प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूँ।

सरकारी उपक्रमों संबन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

कार्यवाही सारांश

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : श्रीमान, मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की निम्नलिखित से सम्बन्धित बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा-पटल पर रखता हूं :-

(1) प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के 47 वें प्रतिवेदन-निर्यात जोखिम बीमा निगम लिमिटेड, बम्बई (जो अब निर्यात ऋण तथा प्रत्याभूति निगम लिमिटेड, बम्बई में परिणत हो गई है)–में दर्ज सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में समिति का पहला प्रतिवेदन।

(2) प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के 35वें प्रतिवेदन–हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, भोपाल–में दर्ज सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में समिति का दूसरा प्रतिवेदन।

श्री रंगा (चित्तूर) : प्राक्कलन समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्यवाही में पांच वर्ष लग गये हैं। संसद कार्य विभाग को चाहिये कि वह इस ओर ध्यान दे कि ऐसे मामलों में इतना अधिक समय न लगे।

वित्तीय समितियां, 1966–67 एक समीक्षा
FINANCIAL COMMITTEES 1966-67

सचिव : श्रीमान, मैं "फाइनेंशियल कमिटीज (द्वितीय समितियां 1966-67 (ए रिव्यू) (एक समीक्षा) की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ।

राज्य सभा से संदेश
MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान, राज्य सभा के सचिव से निम्नलिखित सन्देश प्राप्त हुए हैं।

(एक) कि राज्य सभा को चाय (संशोधन) विधेयक, 1967 के बारे में, जो लोक-सभा द्वारा 31 जुलाई, 1967 को पारित किया गया था, लोक–सभा से कोई सिफारिश नहीं करना है।

(दो) कि राज्य-सभा को विनियोग (रेलवे) संख्या 3 विधेयक, 1967 के बारे में, जो लोक-सभा द्वारा 4 अगस्त, 1967 को पारित किया गया था, लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति
PRESIDENT'S ASSENT TO BILL

सचिव : श्रीमान, मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1967. को सभा-पटल पर रखता हूं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I had tabled a motion that the Public Accounts Committee should present a report on the action taken by Government. It was decided that the report will be presented on the first day of the session and half an hour was allotted for the purpose but now that promise has not been honoured. I would like to know the reasons for the same.

अध्यक्ष महोदय : अगले सत्र के पहले सप्ताह में इसके लिये समय दिया जायेगा।

Dr. Ram Manohar Lohia (Kannauj) : The statistics given by the Finance Minister regarding the revenue and bales of cotton are incorrect. I have been told by an official of his ministry that the total production of fine and superfine cotton yarn is 26 crore kilograms but only 4 or 5 crore Kilograms of cotton yarn has been subjected to levy. It appears that there is gross negligence in the matters pertaining to finance. There is a great disparity in the total number of bales of cotton and the collection of revenues therefrom There has been a levy of rupees, three crores on power looms last year whereas actually it should have been atleast rupees ten crores. I, therefore, request you to improve the finances of the country.

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : इस सम्बन्ध में उप प्रधान मन्त्री ने पहले एक लम्बा वक्तव्य दिया था और उनमें विस्तार पूर्वक स्पष्टीकरण किया गया था। उन्होंने कहा था कि मैं इस बारे में सन्तुष्ट हूं कि राजस्व के बारे में अनुमान कम नहीं लगाये हैं। फिर भी डा० लोहिया के विचार उप प्रधान मन्त्री तक पहुंचा दिये जायेंगे।

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1964-65
DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (General) 1964-65

वित्त मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : श्रीमान, मैं 1964-65 के आय व्ययक (सामान्य) सम्बन्धी अतिरिक्त अनुदानों की मांगों का एक विवरण प्रस्तुत करता हूं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I draw your attention to Article 115 of the Constitution and rule 308 of the Rules of procedure. Exceeding grant is considered to be serious irregularity. I would like to know from the Minister whether Public Accounts Committee has been informed in this regard.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अतिरिक्त मांगों पर लोक लेखा समिति ने विचार कर लिया है और उसके विनियमित किये जाने की सिफारिश की है।

लोक-लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

पांचवां प्रतिवेदन

श्री दत्तात्रय कुन्टे (कोलाबा) : श्रीमान, मैं लोक लेखा समिति के सिविल लेखे से सम्बन्धित 41व, 42वें और 45वें प्रतिवेदनों में सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति पांचवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

बारहवां प्रतिवेदन

श्री पें० वेंक्टासुब्बया (नन्दयाल) : श्रीमान, मैं प्रतिरक्षा मन्त्रालय—प्रतिरक्षा अनुसन्धान तथा विकास संगठन—के बारे में प्राक्कलन समिति का बारहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं

तेरहवां प्रतिवेदन

श्री पे० वेंक्टासुब्बया : श्रीमान, मैं गृह-कार्य मंत्रालय—जनशक्ति निदेशालय तथा व्यावहारिक जनशक्ति अनुसन्धान संस्था, नई दिल्ली—के बारे में प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक सभा) के चौहत्तरवें प्रतिवेदन में दर्ज सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति का तेरहवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूँ ।

सरकारी उपक्रमों संबन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

दूसरा प्रतिवेदन

श्री द्वा०ना० तिवारी (गोपालगंज): श्रीमान, मैं प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के पैंतीसवें प्रतिवेदन—हेवी इलैक्ट्रीकल्स (इण्डिया) लिमिटेड, भोपाल—में दर्ज सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का दूसरा प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

श्री रंगा (चित्तूर) : संसद कार्य मंत्रालय ने इस सम्बन्ध में पांच वर्ष तक कुछ नहीं किया ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : हमने सरकार द्वारा उत्तर मिलते ही प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है।

सोवियत संघ द्वारा पाकिस्तान को हलीकाप्टरों की बिक्री के बारे में वक्तव्य

RE: SALE OF HALICOPTERS BY U. S. S. R. TO PAKISTAN

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री मु० क० चागला) : श्री नाथ पाई ने समाचारपत्रों को कुछ जानकारी दिये जाने के बारे में कल जो प्रश्न उठाया था, उसके बारे में मैंने जांच की है। इस बारे में स्थिति यह है कि 'वाशिंगटन पोस्ट' द्वारा प्रकाशित समाचार भारतीय समाचारपत्रों में 7 अगस्त, 1967 को हुआ। इस सम्बन्ध में जांच किये जाने पर सरकारी वक्तव्य ने प्रेस ट्रस्ट आफ इण्डिया के संवाददाता को वास्तविक जानकारी दी। तब उन्हें यह मामला संसद में उठाये जाने के बारे में मालूम नहीं था।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : भविष्य में जब कभी ऐसा महत्वपूर्ण मामला उठाया जाये तो आप कृपया उसे उठाने की अनुमति दें ताकि यह न कहा जा सके कि हमें अथवा अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी।

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री नाथपाई तथा अन्य सदस्यों से निवेदन करूंगा कि भविष्य में कृपया ऐसे मामले न उठायें जिनकी अनुमति न दी गई।

एकस्व विधेयक

PATENTS BILL

औद्योगिक विकास तथा समवाय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : श्रीमान, मैं श्री फखरुद्दीन अली अहमद की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि एकस्व से संबंधित विधि को संशोधित तथा समेकित करने वाले विधेयक को उपस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि एकस्व से सम्बन्धित विधि को संशोधित तथा समेवित करने वाले विधेयक को उपस्थापित करने की अनुमति दी जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री रघुनाथ रेड्डी : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

बिहार तथा उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) विधेयक

BIHAR AND UTTAR PRADESH (ALTERATION OF BOUNDARIES) BILL

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन और तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक

SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL

पैट्रोलियम और रसायन, योजना तथा समाज कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : श्रीमान मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में कतिपय जातियों तथा आदिम जातियों को सम्मिलित करने और उन्हें उनसे निकालने, उनके प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन और संसदीय तथा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः सीमांकन, जहां तक यह पुनः समायोजन तथा पुनः सीमांकन करना कतिपय अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों को सूचियों से निकालने अथवा उसमें सम्मिलित करने के परिणामस्वरूप आवश्यक हो, तथा तत्संबंधी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

श्री बलराज मधोक (दिल्ली दक्षिण) : यह विधेयक आज प्रातःकाल परिचालित किये गये हैं और हमें उन्हें पढ़ने का समय भी नहीं मिल पाया है । उन्हें पहले परिचालित किया जाना चाहिये था ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): We have not been allowed time to go through the Bill. It should not be permitted to be introduced. I will oppose it.

श्री स० मो० बनर्जी (रामपुर) : कुछ ऐसी अनुसूचित जातियों को, जिन्होंने कांग्रेस के विरुद्ध मत दिया था, उन्हें इस सूची में नहीं शामिल किया जा रहा है । मैं इस विधेयक के पुरः स्थापित किये जाने का विरोध करता हूँ ।

श्री रंगा (चित्तूर) : अध्यक्ष महोदय को सरकार को संदेश देना चाहिये था कि वह विधेयक को पहले परिचालित करें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस सुझाव से सहमत हूं । विधेयक पहले परिचालित किया जाना चाहिये था । परन्तु मैं यह विधेयक सभा में मतदान के लिये रख रहा हूं ताकि सदस्य इसे पढ़कर अगली बार अधिक अच्छी तरह विरोध कर सकें । प्रश्न यह है :

'कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों में कतिपय जातियों तथा आदिम जातियों को सम्मिलित करने उन्हें उनसे निकालने. उनके प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन और संसदीय तथा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के पुनः सीमांकन, जहां तक यह पुनः समायोजन तथा पुनः सीमांकन करना कतिपय अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों को सूचियों से निकालने अथवा उसमें सम्मिलित करने के परिणामस्वरूप आवश्यक हो, तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पेश करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री रघुरामैया : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूँ ।

इसके पश्चात लोक सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म०प० तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till fourteen of the clock.

लोक सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात 2 बजे म० प० पुनः समवेत हुई ।

The Lok Sabha re-assembled after lunch at fourteen of the clock.

{ उपाध्यक्ष महोदय पीठासन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair* }

लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क लगाने के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION RE: LEVY OF EXPORT DEUTY ON IRON ORE

The Minister of Commerce (Shri Dinesh Singh): I beg to move the following motion:

"In pursuance of sub-section (2) of section 4A of the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), this House approves of the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S. O. 2461 dated the 24th July, 1967 regarding levy of export duty on iron ore."

Shri Madhu Limaye (Monghyr): I rise on a point of order. Direction (9) A (3) says: ' The Speaker may after considering the state of business in the House and in consultation with the Leader of the House allot a day or day or part of a day for the discussion of any such Resolution." May I know whether any time has been allotted for this motion ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Communication (Dr. Ram Subhag Singh) : The time for discussion on this subject is over. So I would request Shri Madhu Limaye that Members if likes to speak on this subject they may speak for a minute or two.

Shri Madhu Limaye : Will the Minister allot the time. He is neither the Speaker nor the Leader of the House.

उपाध्यक्ष महोदय : संसद कार्य मन्त्री ने आपकी बात मान ली है। हमारे पास समय की कमी है। अनेक माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं। आप दो तीन मिनट में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : I want seven or eight minutes.

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह (जूनागढ़) समझ में नहीं आता कि मन्त्री महोदय लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क क्यों बढ़ाना चाहते हैं। हम इस समय एक करोड़ टन लौह अयस्क का निर्यात कर रहे हैं और हमने चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ढाई करोड़ टन लौह अयस्क का निर्यात करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। एक वर्ष पूर्व वाणिज्य मंत्रालय के आग्रह पर पटेल मेमोरियल रिपोर्ट में सुझाव दिया है कि इस प्रकार हम 18 करोड़ टन का निर्यात भी नहीं कर पायेंगे। इस पर भी सरकार निर्यात शुल्क बढ़ाया जा रहा है। यदि वास्तव में 25 करोड़ टन निर्यात का लक्ष्य पूरा करना है तो अधिक सुविधाएं दी जानी चाहिये। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार को इस सम्बन्ध में और सूचना देनी चाहिये कि वह व्यापार का विस्तार किस प्रकार करेगी और लौह अयस्क का निर्यात किस प्रकार बढ़ेगा।

जापान को किया जाने वाला निर्यात 30 प्रतिशत से घटकर 12 प्रतिशत रह गया है। इस सम्बन्ध में पटेल मेमोरियल रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारा निर्यात सम्बन्धी कार्यक्रम तब सफल हो सकता है जब परिवहन लागत घटाया जाये। किन्तु सरकार बार बार शुल्क बढ़ा कर कीमत और अधिक बढ़ा रही है जिससे हम विश्व बाजार में प्रतियोगिता में पीछे रह जाते हैं।

अतः यह आवश्यक है कि पटेल मेमोरियल दल तथा सरकारी के योजना आयोग की राष्ट्रीय संसाधन समिति की सिफारिशों के अनुसार खानों से लौह अयस्क निकाला जाये।

मैंगनीज़ अयस्क के लिये खान मालिकों तथा धातु तथा खनिज निगम की परामर्शदायी समिति है किन्तु लौह अयस्क के लिये ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार को इस सम्बन्ध में सोच विचार कर कार्यवाही करनी चाहिये।

Shri Madhu Limaye : The M. M. T. C. has recently entered into an agreement with Japan for the export of iron ore. It has not taken proper care in fixing this price, with the result the country will sustain a loss of about rupee 10 or 11 crores. The econo-

mic and financial newspapers have also made a mention of this matter in their column. We expected that the commerce would clarify the position in this regard to the serious complaints of this nature. But instead of clarifying the position he has come with proposal to raise the export duty. The hon. Minister should state clearly whether any such irregularity has been done by the M.M.T.C.

It would have been much better if instead of raising the export duty, the hon. Minister should have taken some steps to cut down the growing and unnecessary expenditure of the S. T. C. and M. M. T. C. The hon. Minister should tell the House that to what extent this increased duty will effect the export of iron ore and the foreign exchange that we earn.

श्री स० कुण्डू (बालासोर) : अमरीकी और जापानी विशेषज्ञों का कहना है कि भारत के लौह अयस्क के मूल्य अन्य देशों की तुलना में अधिक हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि यहां जहाजों पर माल लादने की उचित व्यवस्था नहीं है।

मैं समझता हूं कि लौह अयस्क के निर्यात में, जो पिछले कुछ महीनों में 18 प्रतिशत बढ़ा है, बहुत कमी होने की आशंका है क्योंकि ब्राजील आस्ट्रेलिया तथा अन्य देश लौह अयस्क का निर्यात बहुत कम मूल्य पर करने जा रहे हैं और वे पर्याप्त मात्रा में नियमित सप्लाई का आश्वासन दे रहे है। यह अधिक अच्छा होता यदि मंत्री महोदय लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क बढ़ाने की अपेक्षा देश में ही कुछ बचत करते और उत्पादन लागत कम करने का प्रयत्न करते जिसमें हम अपने निर्यात को बढ़ा सकते थे।

लौह अयस्क के कुल उत्पादन का लगभग एक तिहाई भाग उड़ीसा से प्राप्त होता है। उड़ीसा सरकार सदैव खानों पर शुल्क लगाकर अपना राजस्व बढ़ाना चाहती है, यही कारण है कि खान मालिकों में उत्साह नहीं रहता है। लौह अयस्क का निर्यात बढ़ जाने से उड़ीसा के लोगों में जो उत्साह होना चाहिये था वह नहीं हो रहा है।

पारादीप ही केवल एक ऐसा उपयुक्त बन्दरगाह है जहां 60,000 टन के जहाज आ-जा सकते हैं। अतः यह आवश्यक है कि इस बन्दरगाह तक रेल लाइन की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे वहां पर निर्यात तथा आयात किये जाने वाले माल का आसानी से परिवहन हो सके।

Shri Dinesh Singh: After the devaluation of rupee. it was thought that the exporters of iron ore exporters were reaping huge profits and these profits should be reduced. Therefor, the export duty of rupees 10 per tonne was imposed on all kinds of iron ore. Then after some representations were made, the duty was reduced.

The Finance Minister has announced some adjustments in the export duty on iron ore on the 24th July. He informed the House that in the case of some higher grades of iron ore the export duty was increased from rupees 10 per cent per tonne to rupees 10.50 per tonne. But at the same time, the export duty on iron ore, which contains 60 per cent to 62 per cent iron, was reduced from rupees 10 per tonne to rupees 9 per tonne and iron ore which contains less than 60 per cent iron the duty was reduced to rupees 7.50 per tonne. Therefor, it would be clear that the duty has been reduced and the announcement to that effect has been made by Finace Ministry.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, 1934 (1934 का संख्या 32) की धारा 4क की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह सभा लौह अयस्क पर निर्यात शुल्क लगाने के बारे में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की दिनांक 24 जुलाई, 1967 की अधिसूचना संख्या एस० ओ० 2461 का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

केन्द्रीय औद्योगिक सुरजा बल विधेयक

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE BILL

राज्य सभा की सिफारिश से सहमति के लिये प्रस्ताव

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मैं श्री यशवन्तराव चव्हाण की ओर से प्रस्ताव करता हूँ :

" कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 6 जून 1967 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई और 8 जून, 1967 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा कतिपय औद्योगिक उपक्रमों की उत्तम रक्षा तथा सुरक्षा हेतु केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नामक बल के गठन तथा विनियमन करने तथा कतिपय अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिए लोक-सभा के निम्नलिखित 30 सदस्यों को नाम-निर्देशित किया जाये, अर्थात :—

श्री विद्याधर वाजपेयी, श्री डी० बलराम राजू, श्री राजेन्द्रनाथ बरुआ, श्री अनिल कुमार चन्दा, श्री निर्मल चन्द्र चटर्जी, श्री जे०के० चौधरी, श्री राम धनी दास, श्री जार्ज फरनेंडीज, श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री नारायनस्वरूप शर्मा, श्री एस० कण्डप्पन, श्री किन्दर लाल, श्री निवास मिश्र, श्री जीतेन्द्र बहादुर सिंह, श्री विक्रम चन्द महाजन, श्री ए० नेसामनी, श्री दयाभाई परमार, श्री मनीभाई जे० पटेल, श्री चौधरी रणधीर सिंह, श्री एस०के० सम्बन्धन, श्री पी०जी० सेन, श्री शशि रंजन, श्री विद्याचरण शुक्ल, श्री एम०एम० सिद्धय्या, श्री एन०के० सोमानी, श्री तयप्पा हरि सोनावने, श्री आर० उमानाथ, श्री तेन्नटि विश्वनाथम, और श्री यशवन्तराव चव्हाण।

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि संयुक्त समिति को राज्य सभा के अगले सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देने की हिदायत दी जाये।"

श्री स० कुण्डू (बालासौर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है (अन्तर्बाधाएं)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स० कुण्डू ने इस सम्बन्ध में मुझे कुछ लिखा था, पहले उन्हें सुनलें ।

श्री स० कुण्डू : मैं इस प्रस्ताव का कड़ा से कड़ा विरोध करता हूं क्योंकि यह विधेयक संविधान के उपबन्धों का हनन करता है । संसद को यह विधेयक पारित करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि यह पूर्णरूपेण राज्य-विषय है । विधेयक के खन्ड 11 में प्रस्तावित बल को वही शक्तियां दी गई है जो दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत पुलिस को बिना वारन्ट के गिरफ्तार करने तथा सम्पत्ति जब्त करने का अधिकार प्राप्त है । सरकार को 'पुलिस' के स्थान पर 'बल' शब्द का प्रयोग इसलिये करना पड़ा कि यदि वह 'पुलिस' शब्द का प्रयोग करती, तो वह यह कानून नहीं बना सकती क्योंकि 'पुलिस' राज्य का विषय है, इसलिये इस 'बल' के छद्मवेष में सुरक्षा बल की एक बड़ी सेना बनाने के लिये इस विधेयक के माध्यम से राज्य सरकार की शक्ति को हड़पने का प्रयास किया गया है, यह विधायिनी शक्ति का आपत्तिजनक प्रयोग है जिसकी संविधान के अधीन अनुमति नहीं दी जा सकती । इसके अलावा यह एक काला अधिनियम है जो हमारे संविधान के मूलभूत आधार पर कुठाराघात करता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल एक बात बता देना चाहता हूं कि विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के विवरण के अनुसार 'वाच एन्ड वार्ड विभाग' के स्थान पर "औद्योगिक सुरक्षा बल" शब्द रखे गये हैं । अतः यह कह कर कि यह अनुसूची 7 की सूची 2 के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है, व्यवस्था का प्रश्न उठाना निरर्थक है क्योंकि उद्देश्य तथा कारणों के विवरण में यह बात बिलकुल स्पष्ट कर दी गई है । श्री स० मो० बनर्जी व्यवस्था का प्रश्न उठा सकते हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह विधेयक संसद की विधायिनी शक्ति से बाहर है। इस पर कई राज्य सरकारों ने आपत्ति की है कि उनके अधिकारों का हनन न किया जाये । इसका सम्बन्ध केवल विधि और व्यवस्था बनाये रखने से है जो राज्य सरकार का कर्तव्य है । यदि इसे पारित किया गया तो राज्य सरकारें विभिन्न राज्यों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को मदद न देने का निर्णय ले सकते हैं । वास्तव में इस बहाने एक अन्य पुलिस बल की स्थापना करने के उद्देश्य से इस विधेयक को लाया गया है जो बहुत आपत्तिजनक है, इसलिये, इस विधेयक पर आगे कार्यवाही ही नहीं की जानी चाहिए ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : First of all I would like to invite your attention to articles, 246 and 162,

उपाध्यक्ष महोदय : दूसरे सदस्य महोदय इसका उल्लेख पहले ही कर चुके हैं ।

Shri Madhu Limaye: All the provisions of the Bill relating to protection, arrests, searches, etc. are covered by items No. 1 and 2 of List No. 2. The point I want to raise is it is neither an armed force nor a naval or air Force. The Central Government have, therefore, no right to make any legislation in this regard.

In the last I will say it is an infringement of rights of States. Therefore you may not grant leave for it.

उपाध्यक्ष महोदय : आप संविधान को खण्डों और अलग अलग नहीं पढ़ सकते और उनकी व्यवस्था कर सकते हैं, पूरे संविधान को पढ़ना चाहिये । श्री चव्हाण ।

श्री श्रीचन्द गोयल (चंडीगढ़) : आप ने वचन दिया था कि मुझे अवसर देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें वचन का कोई प्रश्न नहीं है। श्री चव्हाण को स्पष्टीकरण करने दीजिये।

श्री श्रीचन्द गोयल : आप 2-3 सदस्यों को क्यों अनुमति दी और हमें नहीं दी ? ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है ? आपको हमारी बात भी सुननी होगी।

श्री उमानाथ (पुदुकोटै) : श्रीमान, तीन बज चुके हैं, हमें कार्य-सूची में दिखाई गई इस समय ली जानी वाला कार्यवाही लेनी चाहिए।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : मैं आपका ध्यान कार्य-सूची की 33वीं मद की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिनको तीन बाजे लिया जाना है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (असीपुर) : कृपया हमारी बात भी सुनिये।

श्री नम्बियार (तिरूचिरापल्लि) : यह एक अत्यन्त विवादास्पद विधान है। सदस्यों के भिन्न भिन्न विचार हैं। [अन्तर्बाधायें]

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हान) : यदि यह केवल आपको समझाने की बात है कि सभा को इस विधेयक पर विचार करने का अधिकार है अथवा नहीं, तो बात भिन्न है, परन्तु यदि यह कार्यवाही में रोड़ा अटकाने की चाल है, यह अनुचित है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : यह आपत्तिजनक है।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम)। आप जनसंघ के सदस्य को अवसर क्यों नहीं देते।

उपाध्यक्ष महोदय : गृह-कार्य मंत्री को अपनी बात पूरी करने दीजिये।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : सूची संख्या 1 की मद संख्या 2 और 32 के अधीन यह सभा को इस विधेयक पर विचार करने का अधिकार है। हमारा कहना है कि यह पुलिस बल नहीं है।

श्री उमानाथ : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (अन्तर्बाधा)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मंत्री महोदय को अपना भाषण समाप्त करने दीजिये।

श्री यशवन्त राव चव्हाण : हम समझते हैं कि राज्य सूची के अन्तर्गत आने वाला यह पुलिस दल नहीं है क्योंकि यह सशस्त्र दल अथवा सुरक्षा दल सम्पत्ति की रक्षा के लिये होगा। यह कानून और व्यवस्था बनाये रखने का काम नहीं करेगा, जो काम पुलिस का है। यह रेलवे सुरक्षा दल की तरह होगा। यह उपक्रमों में केन्द्रीय सरकार की सम्पत्ति की रक्षा के लिये होगा।

इस विधेयक पर अग्रेतर विचार करने की अनुमति दी जाये । विरोधी पक्ष की इच्छा को ध्यान में रखते हुए हमने इस विधेयक को एक संयुक्त समिति को सौंपने के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया है ।

श्री उमानाथ : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आज की कार्यसूची में मंहगाई भत्ता आयोग के प्रतिवेदन के बारे में मद संख्या 33 है, जिस पर 3 बजे अथवा पहले की मदों पर चर्चा समाप्त होने के पश्चात्, जो भी पहले ही, चर्चा होनी चाहिए, जैसा कि कार्यसूची में लिखा गया है । तीन बज चुके हैं और अब हमें मंहगाई भत्ते सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए । (अन्तर्बाधायें)

श्री म० ला० सोंधी : **

उपाध्यक्ष महोदय : इस विषय पर हमें चर्चा स्थगित कर देनी चाहिए और अगले विषय को लेना चाहिए ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : श्रीमान, मैं नियम 388 के अन्तर्गत प्रस्ताव करता हूं :

"कि नियमों को निलम्बित किया जाये ।"

Shri Madhu Limaye : On a point of order,

उपाध्यक्ष महोदय : सभा के सामने प्रस्ताव है कि वर्तमान विधेयक पर चर्चा जारी रहे तथा अगले विषय पर चर्चा इसके बाद में हो । (अन्तर्बाधायें)

संसद कार्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : मैं औपचारिक रूप से प्रस्ताव करता हूं कि जिस विषय पर चर्चा हो रही है वह जारी रहे और दूसरे विषय को इस विधेयक पर चर्चा समाप्त होने के बाद लिया जाये ।

श्री नारायण बांडेकर (जामनगर) : आप पहले निर्णय दे चुके हैं कि 3 बजे के लिये नियत विषय पर चर्चा आरम्भ हो परन्तु अब आप कह रहे हैं कि विधेयक पर चर्चा जारी रहे और श्री सोंधी का प्रस्ताव बाद में लिया जाये । आपके पहले निर्णय के अनुसार इस विषय पर 3 बजे चर्चा होनी चाहिए । (अन्तर्बाधायें)

Shri Madhu Limaye : My first point of order is that Dr. Ram Subhag Singh moved a motion earlier and then he withdraws it and moves another motion withdrawing the earlier one which he cannot do under Rule 339 if dissent and we are going to dissert. My second point of order is this that he cannot more the second motion also under Rule 332, which requires the every notice to be given in writing addre sed to the Secretary and left rhe Parliamenatry Notice office.

उपाध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न कार्य सूची में परिवर्तन करने से सम्बन्धित है ।

** कार्यवाही के वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

** Not recorded.

Shri Madhu Limaye : But his motion can be moved under rule 185 only. Rule 185 reads : ' प्रस्ताव की सूचना लिखित रूप में दी जायेगी और सचिव को सम्बोधित होगी ।" "Under the rules time limit has been fixed for giving notices of various motions. All notices whether they pertain to Privilege motion, questions, short Notice questions or some other item of the business of this House are admitted if they are covered under the time limit fixed for such notices under the Rules. The time limit for this motion is 10.30 A.M., but Dr. Ram Subhag Singh has not complied with that time limit. No doubt I have great respect for Dr. Ram Subhag Singh and other hon. Ministers also, but I want to submit that there are rules of the House. We have our rules directions and Constitution. I am firm in my opinion that nobody whether he be a Minister or the President himself is competent to violate those rules of this House. Now it is 3P.M. and I say that this motion is inadmissible. This is inadmissible in two ways- firstly because it was withdrawn in an illegal way and secondly no notice for this was given within the prescribed time limit. So I request that this motion should not be admitted and Shri Sandhi should be allowed to move his motion.

उपाध्यक्ष महोदय : डा० राम सुभग सिंह द्वारा पेश किये गये प्रस्ताव को निबटारा किये बिना अन्य प्रस्ताव नहीं लिया जा सकता ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

{ **अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker *in the chair* }

श्री क० नारायण राव (बोम्बिली) : इस समय सभा के समक्ष जो प्रश्न है वह यह है कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल अधिनियम को संयुक्त समिति को सौंपा जाये । श्री उमानाथ ने इस बारे में व्यवस्था का प्रश्न उठाया था तथा उन्होंने कार्य सूची की प्रथम पाद टिप्पणी की ओर ध्यान दिलाया था जो इस प्रकार है "3 बजे म० प० पर अथवा कार्य की पहली मदों के निपटाये जाने पर, जो भी पहले हो लिया जायेगा ।" यह पाद-टिप्पणी कार्य सूची की मद 33 से सम्बन्धित है । मैं समझता हूँ कि इसका अर्थ यह है कि यदि पहले मद 3 म० प० से पूर्व खत्म हो जाते है, तो इसको लिया जा सकता हैं, परन्तु यदि पहले मदों पर चर्चा 3 बजे म०प० तक पूरी नहीं होती, तो इस मद को नहीं लिया जा सकता और हमें कार्य सूची के अनुसार चलना चाहिये ।

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : डा० राम सुभग सिंह के प्रस्ताव को इस समय पेश नहीं किया जा सकता । इस सम्बन्ध में मैं आप का ध्यान नियम 25 की ओर दिलाता हूँ । नियम 25 इस प्रकार है :

> "सरकारी कार्य के सम्पादन के लिये नियत किये गये दिनों में ऐसे कार्य को पूर्ववर्तिता होगी और सचिव उस कार्य का विन्यास ऐसे क्रम में करेगा जैसा कि अध्यक्ष सदन नेता के परामर्श करने के बाद निर्धारित करे"

इस नियम का परन्तुक इस प्रकार है :

"परन्तु जिस दिन वह कार्य निबटारे के लिये रखा गया हो उस दिन कार्य के ऐसे क्रम में तब तक परिवर्तन नहीं किया जायेगा जब तक अध्यक्ष का समाधान न हो जाये कि ऐसे परिवर्तन के लिये पर्याप्त आधार है।"

यह वाक्यांश कि "ऐसे क्रम में परिवर्तन नहीं किया जायेगा," बहुत महत्वपूर्ण है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि परिवर्तन करना अथवा न करना आपके सविवेक पर निर्भर है। स्पष्ट शब्दों में यह कहा गया है कि सरकारी कार्य का विन्यास सभा नेता से परामर्श करने के बाद किया जायेगा। परन्तु यदि चर्चा के दौरान सरकार कार्य सूची में परिवर्तन करना चाहती है, तो इसे केवल बहुमत के आधार पर नहीं किया जा सकता। कार्य सूची में परिवर्तन तो तभी किया जा सकता है, जब अध्यक्ष संतुष्ट हो जाये कि ऐसा परिवर्तन करने का पर्याप्त आधार है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि वर्तमान स्थिति में अध्यक्ष महोदय को कार्य सूची में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं देनी चाहिये। 3 म० प० पर कार्य सूची की अन्य मद पर चर्चा आरम्भ होनी है। मूलतः उस विधेयक के लिये जिस के लिये अब वह समय बढ़ाना चाहते हैं तीन घण्टे का समय नियत किया गया था। परन्तु अब हमारे पास समय नहीं है। यदि उस विधेयक के लिये 15 या 20 मिनट की और आवश्यकता होती तो कोई नहीं थी, परन्तु 15 मिनट में उसका निबटारा नहीं किया जा सकता है। यदि आप कार्य सूची को देखें तो उसमें स्पष्ट तौर से लिखा हुआ है कि 3 म० प० पर अथवा इसके पहले यदि पहली मद का निबटारा पहले किया जा सका, तो दूसरी नई मद पर चर्चा आरम्भ होगी। अतः यह प्रस्ताव कि विधेयक के लिये समय बढ़ाया जाये। बिल्कुल नियमों के विरुद्ध है। आपको अपने सविवेक से इसका विनिर्णय करना है।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न पर हम 40 मिनट का समय नष्ट कर चुके हैं। यदि इस समय का उपयोग किया गया होता तो आधी चर्चा पूरी हो गई होती। इस सत्र का यह अन्तिम दिन है। अतः आज कार्य सूची की समस्त मदों पर चर्चा पूरी करना बहुत कठिन है, जब तक कि माननीय सदस्य 9 बजे म० प० तक बैठने को तैयार नहीं हो।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : महोदय आपने मुझे वचन दिया था कि मेरे प्रस्ताव पर 3 बजे म० प० पर चर्चा आरम्भ कर दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं आप की अवहेलना नहीं कर रहा हूं। आपने प्रातः मुझसे पूछा था कि क्या मेरे प्रस्ताव पर आज चर्चा हो सकेगी तो मैंने कहा था कि चूंकि आप का प्रस्ताव कार्य सूची में दर्ज है, इसलिये आपको अवश्य समय दिया जायेगा। परन्तु मेरे लिये तो अन्य प्रस्ताव भी इतने ही महत्वपूर्ण है। इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपा जाना है। हमारे समक्ष अब प्रश्न यह है कि कार्य का सर्वोत्तम ढंग से विन्यास कैसे किया जाय।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : आप का ध्यान उस परन्तुक कि ओर दिलाया गया है, जिस के अनुसार इस मद को 3 बजे म० प० अथवा इससे पूर्व लिया जा सकता था तथा इसके बाद इस मद को लिया जाना संभव नहीं है। आपने इस बात को स्वीकार भी किया है। अतः मेरा आप से अनुरोध है कि सभा का और समय नष्ट न करते हुए महंगाई भत्ते सम्बन्धी प्रस्ताव को तुरन्त लिया जाय। यदि समय हुआ तो इस मद पर बाद में विचार किया जा सकता है।

श्री खडिलकर (खेड) : जब हम सभा में पहले प्रस्ताव पर विचार कर रहे थे, तो बहुत से व्यवस्था के प्रश्न उठाये गये थे। मैंने कुछ माननीय सदस्यों की बातें सुनी थी और गृह मंत्री को स्पष्टीकरण करने को कहा था। कुछ और सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे थे, तो मैंने कहा था कि अगली मद आरम्भ करने से पहले मैं उनकी बातें सुनुंगा। इसके पश्चात मैने श्री सोंधी से कहा था कि वह अपना प्रस्ताव पेश करें। श्री सोंधी अपना प्रस्ताव पेश करने वाले ही थे कि संसद कार्य मंत्री खड़े हुए और उन्होंने कहा कि चर्चा को जारी रखा जाय तथा अन्य मदों को इस के बाद लिया जाये। मैंने उन्हें बताया था कि इस तरह मैं कार्यसूची में परिवर्तन नहीं कर सकता। तब फिर कुछ व्यवस्था के प्रश्न उठाये गये थे। मैं माननीय सदस्यों की बातें सुन रहा था और अपना विनिर्णय देने वाला था कि आप पीठासीन हो गये।

अध्यक्ष महोदय : हमें अब और समय नष्ट नहीं करना चाहिये। मंहगाई भत्ता आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये कुछ समय दिया जाना आवश्यक है। अतः पहले श्री सोंधी को बोलने का अवसर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि यदि सभा की बैठक एक घंटे के लिये और बढ़ा दी जाये, तो कोई कठिनाई नहीं होगी। ऐसा करने से हम इस विधेयक पर भी विचार कर सकते हैं, क्योंकि इस विधेयक को भी संयुक्त समिति को सौंपा जाना है। श्री सोंधी अपना भाषण आरंभ करें। उनके प्रस्ताव पर 5.00 बजे म० प० तक चर्चा होगी। फिर विधेयक को लिया जायेगा।

मंहगाई भत्ता आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : REPORT OF THE DEARNESS ALLOWANCE COMMISSION

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : मै प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा भविष्य में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता दिये जाने के प्रश्न पर मंहगाई भत्ता आयोग के प्रतिवेदन पर जो 6 जून, 1967 को सभा पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज इस विषय का विशेष महत्व है। सभा को ज्ञात है कि अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ तथा सरकारी कर्मचारियों के अन्य संगठनों ने 11 सितम्बर को पूर्ण हड़ताल करने का निर्णय कर रखा है। यदि यह हड़ताल हो जाती है तो देश को इससे अभूपूर्व हानि होगी। आज राष्ट्र की स्थिति ऐसी है कि हम ऐसी हड़ताल से हुई क्षति की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि यह हड़ताल जनता के विरुद्ध नहीं है, अपितु जन हित के विरुद्ध है। मैं समझता हूं कि यदि यह हड़ताल हुई, तो जनता उसका समर्थन करेगी। एक महत्वपूर्ण पत्रिका ने इस बात का उल्लेख किया है कि विरोधी पक्ष के सदस्यों को अपनी जिम्मेवारी महसूस करनी चाहिये तथा सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित कराने में सहायता देनी चाहिये। मैं सभा को बताना चाहता हूँ कि हम इस बारे में जागरूक हैं और यह चाहते हैं कि सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच अच्छे सम्बन्ध बने रहें। परन्तु सरकार को भी अपने कर्मचारियों पर विश्वास रखना

चाहिये। विश्वास से ही विश्वास पैदा होता है। हम उनका पक्ष इसलिये नहीं ले रहे हैं कि वे सरकारी कर्मचारी है, परन्तु हम उनका पक्ष इसलिये ले रहे हैं कि वे ऐसे लोग हैं जो राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे हुए हैं। वे ऐसे लोग हैं जो हमारे समाज के शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे ऐसे लोग हैं जिनको राष्ट्र आशा भरी नजरों से देख रहा है। यदि हम अपने इस शिक्षित वर्ग का आवश्यकताओं की अच्छी तरह देखभाल करेंगे, तो हम अपने स्वप्नों के भारत का निर्माण कर सकेंगे। परन्तु यदि सरकारी कर्मचारी यह महसूस करने लगें कि उनके हितों की अवहेलना की जा रही है, तो उन्हें निराशा होगी तथा उस निराशा के परिणाम ऐसे होंगे जो हमारे देश के लिये दुर्भाग्यपूर्ण होंगे।

माननीय वित्त मन्त्री तथा उप प्रधान मन्त्री ने कहा है कि यदि महंगाई भत्ता सम्बन्धी सिफारिश को स्वीकार किया गया तो इसकी क्रियान्वित पर 175 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आयेगा, क्योंकि 30 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये, 32 करोड़ रुपये राज्य सरकारों के कर्मचारियों के लिये, 11 करोड़ रुपये सरकारी क्षेत्र के निगमों के कर्मचारियों के लिये तथा 14 करोड़ रुपये नगरपालिका क्षेत्र के लिए--इस प्रकार 87 करोड़ रुपये तथा फिर इसका दुगना करना होगा, क्योंकि सूचकांक इतना बढ़ गया है कि एक महंगाई भत्ता और देय हो जाता है—की आवश्यकता पड़ेगी। मैं समझता हूँ माननीय मन्त्री का यह कथन अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के "डोमिनों इफैक्ट" के सिद्धान्त पर आधारित है जिसके अनुसार एक असफलता के परिणामस्वरूप दूसरी असफलता जन्म लेती है।

गजेन्द्रगडकर आयोग के प्रतिवेदन से सरकारी कर्मचारियों को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस प्रतिवेदन में केवल एक ही सिफारिश ऐसी है जिससे उन्हें कुछ आशा की झलक दृष्टिगोचर होती है। वह सिफारिश यह है कि दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् या जब मूल्य सूचकांक किसी विशेष अंक तक पहुँच जाये तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन-क्रमों में संशोधन किया जाना चाहिये तथा उन्हें अन्तरिम सहायता दी जानी चाहिये। परन्तु वित्त मन्त्री इस सिफारिश को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मेरा अनुरोध है कि इस सिफारिश को स्वीकार किया जाये।

यह कहा गया है कि महंगाई भत्ता देने से सरकार को कई सौ करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे और इससे मूल्य में और वृद्धि होगी। वित्त मन्त्री को इन्स्टीट्यूट ऑफ इकनामिक ग्रोथ जैसी निष्पक्ष संस्था द्वारा महंगाई भत्ते की रकम के खर्च की जांच करवानी चाहिये। जब दिसम्बर 1966 में पिछली बार महंगाई भत्ता दिया गया था तब मूल्य के उतार-चढ़ाव में स्थिति इतनी स्पष्ट नहीं थी। महंगाई भत्ता देने में देरी करने से मूल्य सम्बन्धी नीति को कोई सफलता नहीं मिली है। मंहगाई भत्ते की पृष्ठभूमि में बात यह है कि इससे कर्मचारियों को अपने बच्चों की शिक्षा में धन लगाने का अवसर मिल जाता है। दूसरे शब्दों में यह धन मानव पर लगाया जाता है जिसे देने से वित्त मन्त्री इन्कार कर रहे हैं। वित्त मन्त्री को खर्च में वास्तविक कमी करनी चाहिये। उन्हें चाहिये कि छंटनी आदि करके खर्च में दिखावटी कमी करने की बजाय अशोक होटल में रिवाल्विंग टावर लगाने जैसी योजनाओं पर बेकार का खर्च बन्द करके खर्च में कमी करें। हमें अच्छी वर्षा होने की आशा है और इस के साथ ही यदि सरकार कुछ अन्य अनुकूल कार्यवाही करती है तो इसका कोई कारण नहीं कि मूल्यों में

स्थिरता बनाये रखने के लिये सरकारी कर्मचारियों पर इतना बोझ डाला जाय। महंगाई भत्ते की यह परिभाषा स्वीकार न करना एक ऐसी बात है जिसके लिये हम कभी अनुमति नहीं देंगे।

जहां तक बचत की अपील का सम्बन्ध है, भारतीय जन संघ सार्वजनिक बचत में वृद्धि करने के लिये प्रत्येक सम्भव प्रयत्न करने के लिये तैयार है किन्तु ऐसी धमकी द्वारा अथवा विवश किये जाने पर वह ऐसा कभी भी करने के लिये तैयार नहीं है। वित्त मन्त्री महंगाई भत्ता दे दें और हम सरकारी कर्मचारियों के पास जायेंगे तथा उन्हें सार्वजनिक बचत के लिये उसी प्रकार से खुले दिल से चन्दा देने के लिये कहेंगे जैसा कि मन्त्री महोदय हम से आशा करते हैं।

जन संघ प्रभावी केन्द्रीय सरकार चाहता है। सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिये कि लोगों को जीवन निर्वाह तक के लिये खर्च देने से इन्कार करने पर उनकी कार्य कुशलता पर क्या प्रभाव पड़ेगा सरकार को एक आदर्श नियोजक का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिये और महंगाई जितना महंगाई भत्ता देना चाहिये। सरकार महंगाई भत्ता नकद देने में समर्थ है परन्तु सरकारी कर्मचारी मूल्य वृद्धि सहन नहीं कर सकते।

श्री श्री० अ० डांगे (बम्बई-मध्य दक्षिण) : कल एक अन्य संकल्प पर बोलते हुए राज्य मन्त्री ने महंगाई भत्ता रोक दिये जाने की हमारी मांग के विरुद्ध कुछ तर्क दिये थे।

{ **श्री बलराज मधोक पीठासीन हुए** }
{ **Shri Balraj Madhok** *in the Chair* }

वित्त मन्त्री कर्मचारियों को अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने के विरुद्ध है क्योंकि उनके कथनानुसार अर्थव्यवस्था में 175 करोड़ रुपया अधिक डालने से मूल्य बढ़ जायेंगे और परिणामस्वरूप महंगाई भत्ते में और वृद्धि की मांग होगी और इस प्रकार इस चक्र पर कोई नियन्त्रण नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने मूल्यों में स्थिरता लाने के लिये एक वर्ष का समय मांगा है। किन्तु मुझे इसमें सन्देह है कि उन्हें इस कार्य में सफलता मिलेगी।

वित्त मन्त्री मजूरी से प्रारम्भ करते हैं जबकि हम मूल्यों से प्रारम्भ करते हैं और विश्व के अर्थशास्त्रियों में इस सम्बन्ध में झगड़ा लगातार चल रहा है। सभी पूंजीवादी अर्थशास्त्री मूल्यों में बढ़ोत्तरी का कारण मजूरी में बढ़ोत्तरी बताते हैं और लोकतन्त्रीय पक्ष के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि मजूरी द्वारा मूल्य निर्धारित नहीं किये जाते। ब्रिटेन के श्रमिक संघ के नेता ने भी इस सिद्धान्त को गलत बताया है कि मजूरी की वृद्धि पर प्रतिबन्ध लगाने से मूल्य वृद्धि रुक जायेगी। उन्होंने मजूरी में रोक की निन्दा की है। किन्तु हमारे वित्त मन्त्री उसी निरर्थक सिद्धान्त का अनुसरण करना चाहते हैं।

पिछले छः मास से बढ़ाया गया महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिला है किन्तु मूल्य फिर भी बढ़ रहे हैं। यदि मुनाफाखोरों की आदत ठीक हो सके तो करनी चाहिये और ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लेना चाहिये। यदि उनकी आदत ठीक न हो सके तो उन्हें बिल्कुल समाप्त कर दिया जाना चाहिये। मजूरी अर्जित करने वालों को भूखा मारने की बजाय मूल्य नियन्त्रण का यही एक तरीका है।

यदि मन्त्री महोदय चाहते हैं कि अर्थव्यवस्था में अधिक धन डालने से बचा जाये तो उन्होंने अप्रैल से जुलाई तक देश की मुद्रा प्रणाली घाटे की व्यवस्था के समायोजन के लिये 268 करोड़ रुपये क्यों दिये। केवल इतना ही नहीं। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों को 11 करोड़ रुपये देने की बजाय उन कर्मचारियों को दबाने के लिए अधिक सुरक्षा बल लगाने के लिए सरकार ने एक विधेयक पुरःस्थापित किया है। इस सुरक्षा दल में सात सात बटालियनों की तीन टुकड़ियां हैं और एक-एक बटालियन पर प्रतिवर्ष लगभग चार करोड़ रुपये व्यय आयेगा इसी से मालूम होता है कि सरकार अपनी नीति किस प्रकार क्रियान्वित कर रही है।

सरकार द्वारा यह कहा गया है कि गैर-कांग्रेसी राज्यों के बहुत से मन्त्री मजूरी पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सहमत हैं। परन्तु केरल, पश्चिमी बंगाल तथा बिहार के मन्त्रियों ने इस बात का समर्थन नहीं किया है। उन मन्त्रिमण्डलों में साम्यवादी भी शामिल हैं। यदि इन मुख्य मन्त्रियों ने मजूरी में बढ़ोत्तरी का विरोध किया तो हम उनका विरोध करेंगे और उन्हें पदों से हटा देंगे। इस मामले पर किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जा सकता।

मैं यह मानने के लिये तैयार हूँ कि आप मूल्य वृद्धि रोकना चाहते हैं। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि वह उचित कार्यवाही करें और मजूरी कमाने वालों को तंग न करे। यदि इस निवेदन का कोई प्रभाव न हुआ तो सरकार की नीति के विरुद्ध अपना रोष प्रकट करने के लिए सरकारी कर्मचारी 11 सितम्बर को सामान्य हड़ताल करने जा रहे हैं।

Shri George Fernandes (Bombay-South) : The Finance Minister has not so far given any definite reply with regard to the payment of dearness allowance to Central Government employees. He has just stated that Government cannot enhance dearness allowance for the present. In order to justify their stand a wrong impression is being created in the minds of general public that Government has to give Rs. 175 crores to its employees if the demand of dearness allowance is to be met. I would like to make it clear that Government employees are not satisfied with the recommendations of Gajendragarkar Commission as the amount of dearness allowance has been reduced by it. But in case the recommendations of this Commission are implemented, they would involve Rs. 60 crores only and not Rs. 175 crores. We should not include the employees working in public undertakings and other local bodies because that would create a wrong impression that Government is likely to impose new taxes of Rs. 200 crores on the general public just to pay more to the Government employees.

Another wrong impression is being created that increase in dearness allowance would lead to further rise in prices. The fact remains that reason for the price rise is more taxes levied in the budget. I would like to remind the Government that the Report of Gajendragadkar Commission is not negotiable and it is the duty of the Government to accept it in full. The Government should not postpone or delay the implementation of these recommendation on the plea that increase in dearness allowance would lead to rise in prices.

On one side wage freeze is being suggested but on the other side a new security force is proposed to be set up which would involve an expenditure of Rs. 2 crores per annum. If the Government wants others to observe austerity it should itself set an example. The commission have recorded in its Report that the Government must set a pattern of austerity in the conduct of Ministers and in the general manner of administration.

The Central Government employees have decided to go on strike on the 11th September. In order to avert any unpleasant situation, I would request the Government to pay the additional dearness allowance to its employees from the month of February.

I want to warn the Government that if this demand is not acceded within 30 days then I afraid the Government may not collapse because of agitation on the 11th September.

श्री नाथ पाई (राजापुर) : गजेन्द्रगडकर आयोग ने सभी पहलुओं को अच्छी तरह समझकर मंहगाइ भत्ता नकद देने का निश्चय किया है। इस आयोग ने किसी अन्य रूप मे क्षतिपूर्ति देने या भुगातन को रोकने की सम्भावना को भी स्पष्ट रूप में अस्वीकार कर दिया है जिस पर वित्त मन्त्री अब तक अड़े हुए हैं। सरकार की ओर से यह कई बार कहा गया है कि हम देश के विकास और प्रगति के लिये वचन बद्ध है और इसलिये मुद्रास्फीति होना अनिवार्य है। परन्तु 'इन्फ्लेशन एण्ड ग्रोथ' में लिखा हैं कि मूल्यों में वृद्धि से आर्थिक विकास रुक जाता है और मुद्रास्फीति से प्रगति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। देश में यदि मुद्रा-स्फीति बढ़ रही है तो इसके लिये सरकारी कर्मचारी उत्तरदायी नहीं हैं। इसके लिये सरकार स्वयं उत्तरदायी है। वित्त मंत्री ने कहा है कि आयोग की सिफारिश के अनुसार यदि क्षतिपूर्ति नकद दी जाये जो मुद्रास्फीति सम्बन्धी दबाव बढ़ जायेंगे। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या इसके लिये निश्चित वेतन पाने वाला कर्मचारी उत्तरदायी हैं ? सरकार अपने अपराध के लिये अपने कर्मचारियों को क्यों सजा देना चाहती है ? इसका कारण यह है कि सरकार की आर्थिक नीति असफल रही है। सरकार यदि कोई ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत करे जिसमें उन लोगों का दण्ड देने का उपबन्ध हो जिनको मुद्रास्फीति की आर्थिक नीतियों से लाभ पहुंचा हो तो हम सरकार के साथ सहयोग कर सकते हैं।

वित्त मंत्री के बांडों और डिफेंस सर्टिफिकेटस के रूप में क्षतिपूर्ति देने के सुझाव में काफी असमानताएं है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिये 60 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, परन्तु हमें डराने के लिये राज्य सरकारों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों द्वारा दिये जाने वाली धन-राशि को भी सम्मिलित कर लिया गया गया है।

यदि सरकार मुद्रास्फीति के दबावों को रोकना चाहती है तो वह इसका आरम्भ कहां से करना चाहती है ? जिन पर पहले ही अधिक बोझ पड़ा हुआ है या जिन्होंने सरकार मुद्रा-स्फीति वाली नीतियों से लाभ उठाया ? मेरे विचार में यह आरम्भ गलत ढंग से किया जा रहा है। मैं यह बात देना चाहता हूं कि यह केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की मांग नहीं थी। बल्कि गजेन्द्रगडकर आयोग की नियुक्ति भारत सरकार ने स्वयं की थी। आयोग की इस सिफारिश से कर्मचारियों की मांग पूरी नहीं हो जाती। परन्तु इस आयोग ने उन्हें जो कुछ दिया है, श्री मोरार जी देसाई वह भी नहीं दे रहे। सरकारी कर्मचारी हड़ताल बिलकुल नहीं करना चाहते परन्तु यदि सरकार अन्य सभी द्वार बन्द कर देती है तो उनके सामने और कोई विकल्प नहीं रह जाता। इससे पहले कि मैं अपना भाषण समाप्त करूं, मैं भूतपूर्व प्रधान मन्त्री, श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा अपने सहयोगियों को लिखे एक गुप्त पत्र को पढ़ना चाहूंगा।

"इस प्रकार के विवादों को शीघ्र हल करने के लिये हमने अभी तक कोई उचित तरीका नहीं खोजा है। सरकार इन मामलों में फुरसत से कार्य कर रही है और कभी कभी समस्या

के हल खोजने में महीने और वर्षों लग जाते हैं। एक समस्या जिसको आसानी से हल किया जा सकता है अधिक जटिल हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप हताशा और जोश उत्पन्न होता और उसका अन्त संघर्ष में होता है"। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हमें कोरा दिखावा नहीं करना चाहिये। हमें यह देखना है कि कौन भार उठा रहा है और हमें उसके भार को कम करने का प्रयास करना है।

मुझे आशा है कि श्री मोरारजी देसाई शक्ति के झूठे दिखावे को छोड़कर वास्तव में मैत्री पूर्ण तरीका अपनायेंगे।

Shri K. N. Pandey (Padrauna) : There are two parts of this Gajendra Gadkar Commission's report. In one part of its report it has suggested the amount to be paid to the Government employees. Now the question arises how should Government try to obtain the money to pay its employees In a dispute between the parties, an arbitrator is appointed and whose decision is accepted by both the parties Therefore, I would request you to accept all the recommendations given by the Commission.

I understand your difficulty. You have to face this difficulty one day. In case the pay of the Central Government Employees is increased, the State Government employees will definitely be effected. We cannot say that the Public Undertakings employees will not take advantage of it. Sixty crore rupees are required for it. You have to find out the means for it. The country is now not in a position to bear this burden.

There are certain rules for taking loans from Provident Funds. A person can take loan out of it for constructing building and not for other purposes. So, if you want to make deferred payment in the form of bonds, do it, but please pay atleast half the money in cash. There are certain other difficulties in it also. Therefore, please make certain other funds for it and atleast half the money should be paid in cash to the employees.

{ अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair.* }

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : After the discussion we came to the conclusion that 175 crore rupees are necessary for this purpose. But we have no money. I want to say that if the Government or the Finance Minister decided before not to pay this money, because the Ministry of Railways provided funds for D. A. in their budget but you.....

To day, it is not a question of ₹175 crore rupees. The Finance Minister has clearly told the Chief Ministers that he was not prepared to pay any thing for the state employees. He has not agreed to pay for the employees of the Municipalities and local bodies. So now there is a question of only 60 crore rupees.

In 1952 when the Government decided that the price cannot come down, it merged the dearness allowance with the pay and Gadgil Committee was appointed in 1952.

Gadgil Committee has mentioned

"This question of treating as part of pay a portion of the dearness allowance now granted to the Central Government Employees has been engaging the attention of the Government of India for some time. The Government of India have now decided to set

up a Committee consisting of non-officials and officials to conduct an investigation into these matters and to make recommendations to the Government on this subject.

In 1952, our Finance Minister thought that D. A. should be merged with the pay. Gajendra Gadkar Commission has recommended only 90 per cent neturalisation of our dearness. We want that neturalisation should be made cent per cent upto rupees 600 or at least rupees 450 If you cannot neturalise cent per cent dearness you should pay the dearness allowance we are entitled taking points 185 and 195 as the basis.

Out of 22 lakh, Government employees, 14 lakhs are getting less than 100 rupees per month. In such circumstanees if they do not like to pay them in cash, there be 'dharna'. So I will request you to please reconsider your decision. Government have nothing except promises. I want that this matter should be settled.

श्री नारायण दांडेकर (जामनगर) : मेरे विचार से दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जगह सही मालूम होते हैं।

आयोग ने मंहगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में भली भांति अध्ययन किया है और उसने अपनी रिपोर्ट में इसे उचित ढंग से प्रस्तुत किया है। यह स्पष्ट है कि जीवन निर्वाह में निरन्तर वृद्धि हुई है। ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि आयोग ने बहुत उदार सिफारिशें प्रस्तुत की हैं। उसने केवल निम्नतर कर्मचारियों के लिये 90 प्रतिशत मंहगाई के बराबर भत्ता देने की सिफारिश की है। अतः जहां तक राज्य सरकार के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, निसंदेह उनका मामला भी कुछ स्पष्ट हो गया है।

दूसरी ओर सरकारी खजाने पर और खास तौर पर अर्थ व्यवस्था के जीवन निर्वाह मूल्य पर पड़ने वाले 170 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्चे की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। इससे बढ़ते हुए मूल्यों को नियंत्रित करने की समस्या और कठिन हो जाएगी।

पिछले 15 या 20 वर्षों में किये गये अन्धाधुन्ध आयोजन वर्तमान स्थिति का प्रत्यक्ष परिणाम है। इसके कारण अत्याधिक घाटे की व्यवस्था को अपनाना पड़ा है।

हमने सरकार को बार बार चेतावनी दी कि वह मुद्रास्फीति के संकट की ओर बढ़ रही है और ऐसा ही हुआ क्योंकि सरकार ने इस चेतावनी की ओर ध्यान नहीं दिया। चालू वर्ष में भी सरकार ने रेलवे के किराये, माल भाड़े, पेट्रोल-कर डीजल-कर तथा बहुत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर लागत बढ़ा दी है। सरकार ने कर निर्धारण नीति, फिजूल खर्ची पर रोक लगाने, खपत पर होने वाले खर्च और तथा कथित काल्पनिक निवेश खर्च पर रोक लगाने के सम्बन्ध में, जिसमें कीमतें बढ़ने से रुकेंगी, कुछ नहीं किया है। अतः राहत देने की मांग से इन्कार करने के लिये सरकार के पास कोई औचित्य नही है। राष्ट्रीय बचत की दृष्टि से भविष्य निधि में कुछ धन राशि जमा रहनी चाहिये। मैं यह कहूँगा कि केवल यही करना पर्याप्त नहीं है। मेरा यह विचार है कि भत्ते का कुछ भाग नकद दिया जाना चाहिये।

सरकारी कर्मचारियों की हड़ताल समुदाय, सम्पूर्ण आर्थिक ढांचे देश के विकास के विरुद्ध हैं। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि मंहगाई भत्ते का कुछ भाग इस प्रकार दिया जाना चाहिये कि वह खर्च नहीं किया जा सके और कुछ भाग नगद दिया जाना चाहिये।

अन्त में मैं यही कहूँगा कि हड़ताल को किसी भी परिस्थिति में न्यायोचित नहीं समझा जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : प्रत्येक सदस्य दो मिनट ले ले। दो विकल्प हो सकते हैं। या दो माननीय सदस्य निर्वाह व्यय के बारे में प्रश्न पूछ लें या एक या दो भाषण हो जायें।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : प्रत्येक वक्ता को कम से कम पांच मिट मिलनी चाहियें।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रत्येक दल और निर्दलीय सदस्य को अवसर देना चाहता हूं। ऐसा नहीं किया जा सकता कि एक ही पक्ष के सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जाये और दूसरे पक्ष की उपेक्षा की जाये।

श्री कृष्ण कुमार चटर्जी (हावड़ा) : मेरी सम्पूर्ण सहानुभूति सरकारी कर्मचारियों के साथ है चाहे वे राज्य सरकार के कर्मचारी हों अथवा केन्द्रीय सरकार के। मैं तो स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को भी इसी श्रेणी में रखता हूं। इन सब की संख्या लाखों में है। कुछ सदस्यों ने केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बारे में तो तर्क दिये हैं परन्तु वे राज्य सरकारों के कर्मचारियों को बिल्कुल ही भूल गये हैं। मंहगाई का प्रभाव सब पर समान पड़ता है। गजेन्द्र गडकर आयोग के प्रतिवेदन में यह कहा गया है कि यदि बढ़ती हुई कीमतों को न रोका गया तो आयोग की सिफारिशें पुरानी पड़ जायेंगी।

यह कहना भी अनुचित है कि हमारे उप-प्रधान मत्री गजेन्द्र गडकर आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि पहले मूल्य वृद्धि को रोका जाये और फिर मंहगाई भत्ते के प्रश्न को लिया जाये। इसके लिये वह कुछ समय मांग रहे हैं। मैं मानता हूं कि सरकारी कर्मचारी देशभक्त हैं और वे देश के लिये कष्ट भी उठा सकते हैं। इसलिये उनसे मेरी यह अपील है कि वे सरकार को दो-तीन महीने का समय और दें, ताकि मूल्यों को स्थिर किया जा सके। माननीय सदस्यों से भी मेरी यह अपील है कि वे इस प्रश्न को राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के दृष्टिकोण से न लें। इस प्रकार वर्तमान आर्थिक संकट दूर हो जायेगा और कुछ समय पश्चात उन्हें इससे भी अधिक दिया जायेगा।

श्री कृष्ण मूर्ति (कडुलूर) : गजेन्द्र गडकर आयोग का प्रतिवेदन सभा में दो महीने बाद रखा गया। दूसरे सरकार कर्मचारियों को बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता नकद देने को तैयार नहीं है। मंत्री महोदय कहते हैं कि वह प्रमाण-पत्रों के रूप में दिया जायेगा। परन्तु क्या उनसे कर्मचारियों के जीवन स्तर में कोई सुधार आयेगा? तथा इससे वे सन्तुष्ट हो जायेंगे? वित्त मंत्री महोदय अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहते हैं कि भत्ता नकद देने के लिये रुपया कहां से लाया जाये। यदि स्थिति इतनी विकट है तो वह विपक्षी सदस्यों के सुझावों पर ध्यान दें। हमारा यह सुझाव है कि विद्यमान नोटों को रद्द कर दिया जाये, काले धन को प्रकाश में लाया जाये तथा सम्पूर्ण बैंक व्यवस्था का राष्ट्रीयकरण किया जाये। पूंजीपतियों की सरकार होने के नाते यह पूंजीपतियों को, उनके बैंकों को संरक्षण दे रही है जिससे मंहगाई दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है। यदि

वित्त मंत्री महोदय मूल्य स्थिर करने में 15 अगस्त तक असफल रहते हैं, तो उन्हें पद से अलग हो जाना चाहिये ।

श्री नम्बियार : पहले तो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी गजेन्द्रगडकर आयोग का विरोध कर रहे थे परन्तु मंत्री महोदय ने उन्हें इस बात के लिये राजी कर लिया । अब वह दूसरा कदम उठाना चाहते हैं कि उन्हें मंहगाई भत्ता दिया ही न जाये । यह कदम अनुचित है । इससे भारत की सम्पूर्ण श्रमिक वर्ग भड़क उठेगा और इसका विरोध करेगा ।

यह तर्क दिया जा रहा है कि मंहगाई भत्ता देने के लिये रुपया नहीं है । अन्य कामों के लिए तो धनराशि उपलब्ध हो जाती हैं, परन्तु गरीब सरकारी कर्मचारियों को देने के लिये सरकार के पास धन नहीं है । दूसरा तर्क यह दिया जाता है कि यदि मंहगाई भत्ता दिया जायेगा तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी और मूल्य स्तर भी बढ़ जायेगा । परन्तु पिछले आठ महीने से मंहगाई भत्ता नहीं बढ़ाया गया फिर भी उस समय में मूल्य बहुत बढ़े हैं । यह कैसे हुआ ? गैर सरकारी क्षेत्र में जितनी मंहगाई बढ़ी है उतना ही मंहगाई भत्ता भी बढ़ा दिया गया, परन्तु उससे मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है । इससे यह सिद्ध होता है कि यह सिद्धान्त गलत है कि मंहगाई भत्ते के बढ़ाये जाने पर मूल्य अधिक हो जाते हैं ।

अन्त में, मैं सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूँ कि यदि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल करने के लिये बाध्य होना पड़ा तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सरकार और विशेषकर वित्त मंत्री पर होगा । अतः सरकार को ऐसा प्रयत्न करना चाहिये जिससे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की अखिल भारतीय स्तर पर हड़ताल न हो । सरकार को इन लाखों कर्मचारियों की कठिनाइयों पर ध्यान दे जिनकी सेवा और परिश्रम से वह स्वयं जिन्दा है ।

Shri G. Venkatswamy (Siddipet): Many Members have expressed their views about the report of Gajendragadkar Commission. The opposition Members think themselves only guardians of the Central Government employees. But we the congressmen, also feel like that. We have all sympathies for the employees. It is a matter of sorrow that the Gajendragadkar Commission have not recommended for cent per cent neutralization. But, whatever, has been recommended by the Commission, should be implemented soon. Because all the twenty lakh employees were anxiously waiting for it with the hope that they will get some relief. We are spending crores of rupees on five year plans and other projects. There is a question of only 60-62 crore rupees. It can be arranged very well. So it is my suggestion that the implementation of the Commissions' Report should not be delayed. It should be implemented as soon as possible.

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : मुझे दुख है कि सरकार हमेशा ही आर्थिक संकट में फंसी रहती है । जब भी कोई कठिनाई सामने आती है सरकार उससे सम्बन्धित एक समिति नियुक्त कर देती है और मामले को टाल देती है । मेरे विचार से सरकार को ऐसी समितियों के प्रतिवेदनों पर अमल करना चाहिये । गजेन्द्रगडकर आयोग ने जो भी कुछ कहा है वह तर्कपूर्ण है और सरकार को उसे मान लेना चाहिये । इसमें ही बुद्धिमत्ता है । अन्यथा सरकारी कर्मचारियों में असंतोष फैल जायेगा जिससे कोई बड़ी मुसीबत सामने आ सकती है ।

Shri Abdul Ghani Dar (Gurgaon) : Since the Government had appointed the Gajendragadkar Commission to go into the question of giving additional dearness allowance to the Central Government employees, they should not implement its recommendations.

Shri George Fernandes has given a threat that the Government will be toppled down on 11th September, 1967, the day on which the employees propose to go on strike. On the one hand opposition Members have admitted that the country is faced with a dual threat from China and Pakistan and on the other hand they want to topple down the Government. It should be remembered that the end of the present Government will be the end of democracy in our country. The Government employees are loyal to the country. If certain political parties try to make use of them to topple down the Government, they will be doing a great dis-service not only to the country but also to themselves.

उप प्रधान मन्त्री तथा वित्त मन्त्री (श्री मोरारजी देसाई) : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ता देने के प्रश्न पर विचार करते समय हमें समूचे देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखना है। जब तक खाद्य स्थिति में सुधार नहीं हो जाता तब तक भारी संख्या में लोगों को 175 करोड़ रुपये की राशि दे देने से जो स्थिति उत्पन्न होगी वह उस स्थिति से, जो भत्ता न बढ़ाये जाने के फलस्वरूप उत्पन्न हो सकती है, कहीं अधिक गम्भीर होगी क्योंकि ऐसा करने से मूल्य एक दम बढ़ जायेंगे। जो लोग यह कहते हैं कि इससे मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं होगी, वे मालूम होता है, तथ्यों से अनभिज्ञ हैं। वास्तविकता तो यह है है कि पहले कितनी बार मंहगाई भत्ते में वृद्धि की गई, उतनी बार मूल्यों में भी वृद्धि हुई।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : मूल्य तो तब भी बढ़े हैं जब मंहगाई भत्ते में कोई वृद्धि नहीं की गई थी।

श्री मोरारजी देसाई : भत्ते में वृद्धि कर देने से मूल्य तो और भी अधिक बढ़ जायेंगे। अतः ऐसा करना तो आग में तेल डालने वाली बात होगी।

श्री प्र० क० देव (कालाहांडी) : आग लगाई किसने थी।

श्री मोरार जी देसाई : इसमें कोई सन्देह नहीं है कि देश को जिस स्थिति का इस समय सामना है इसके लिये कुछ हद तक सरकार जिम्मेवार है। मेरे माननीय मित्र भी इस जिम्मेवारी से नहीं बच सकते हैं।

अतः सरकार को इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद ही कोई निर्णय करना है। यह एक आश्चर्य की बात है कि वही सदस्य जो मुझे राज्य सरकारों को अधिक सहायता देने के लिये कहते रहे हैं अब कह रहे हैं कि सरकार को केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ता देने के लिये 60 करोड़ रुपये देने के प्रश्न पर ही विचार करना चाहिये। यदि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को धनराशि देने की स्थिति में नहीं है तो उसे इस बात का तो ध्यान रखना चाहिये कि ऐसी कोई बात न की जाये जिससे उन्हें अधिक बोझ उठाना पड़े। आखिरकार केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों ने मिल कर काम करना है क्योंकि हमारी सफलता राज्य सरकारों की सफलता पर निर्भर करती है। अतः हमें राज्य सरकारों की कठिनाइयों का भी ध्यान रखना है।

यह ठीक है कि सरकार ने गजेन्द्रगडकर आयोग की नियुक्ति की थी और उसने सभी पहलुओं पर बड़े ध्यान पूर्वक विचार करने के पश्चात सिफारिशें की हैं। हम उसकी मुख्य सिफारिशों को स्वीकार करते हैं परन्तु उसकी कुछ सिफारिशें ऐसी हैं जिनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। उसने दो वर्षों के पश्चात अथवा जब मूल्य सूचकांक 235 अथवा 245 बिन्दु तक पहुंच जाये, नये वेतन आयोग की नियुक्ति करने की जो सिफारिश की है, चाहे स्थिति कुछ भी हो, उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनकी इस बात को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता कि इस आयोग की नियुक्ति के सम्बन्ध में सरकार अथवा नियोजक की क्षमता को ध्यान में नहीं रखा जा सकता। जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है मैंने यह नहीं कहा है कि मैं उनको नहीं मानता हूं। उसकी यह बात भी स्वीकार्य नहीं है कि अतिरिक्त भत्ते का भुगतान अभी कर दिया जाए क्योंकि जहां उक्त सिफारिश की गई है वहां पर इस बात की ओर भी संकेत दिया गया है कि कर्मचारियों के कुछ प्रतिनिधियों से हुई बातचीत के आधार पर यह कहा जा सकता है कि यदि सरकार मूल्यों को न बढ़ने देने की दिशा में कोई व्यापक कार्यवाही करती है जिसका प्रभाव समूचे राष्ट्र पर पड़ता हो तो उस स्थिति में कर्मचारी इस बात पर विचार करने के लिये तैयार हो जायेंगे कि बढ़े हुए भत्ते के कुछ अश का भुगतान बाद में किया जाये। आगे प्रतिवेदन में यह भी कहा गया है कि एक राज्य में बढ़ाये गये भत्ते की राशि को कर्मचारियों की भविष्य राशि में जमा कर दिया गया है और कर्मचारियों ने ऐसा करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। परन्तु आयोग ने ऐसा करने की सिफारिश इस लिए नहीं की है क्योंकि कर्मचारी इस बात के लिये तैयार नहीं थे। ऐसे प्रस्ताव पर वे केवल इस शर्त पर विचार करने के लिए तैयार हैं जब सरकार कोई व्यापक योजना बनाये जिससे लाभ और आय पर नियंत्रण लगाया जा सके। यह एक प्रकार का सुझाव ही है और मेरे विचार में यह सुझाव भी एक प्रकार की सिफारिश ही है जिस पर मैं बड़ी गम्भीरता से विचार कर रहा हूं।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : एक सिफारिश को सिफारिश न मानकर एक सुझाव को सिफारिश मानने में क्या तुक है।

श्री मोरारजी देसाई : मैंने इस बात से कभी इन्कार नहीं किया है कि सिफारिश सिफारिश है। मैं उसके सुझाव पर इसलिये विचार कर रहा हूं क्योंकि यह एक राष्ट्रीय समस्या है और मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि वे इसे सुलझाने में अपना सहयोग सरकार को दें। इसमें सन्देह नहीं है कि सरकार को अपने कर्मचारियों का ध्यान रखना चाहिये। मुझे उनसे पूरी सहानुभूति है। परन्तु सरकार ने न केवल अपने कर्मचारियों का ही परन्तु सारी जनता का ध्यान रखना है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के अलावा देश में इनसे चार गुना ऐसे भी कर्मचारी हैं जिन्हें इनकी अपेक्षा बहुत कम आय होती है। यह बात तो मेरी समझ में नहीं आती कि चूंकि वे कोई गड़बड़ी करने में असमर्थ हैं इसलिये उनका ध्यान न रखा जाय क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के भत्ते में वृद्धि करने के फलस्वरुप मूल्य बढ़ते हैं तो इसका प्रभाव गैर सरकारी कर्मचारियों पर कहीं अधिक पड़ेगा। अतः हमें सभी पहलुओं पर निष्पक्षता से विचार करने के पश्चात ही कोई ऐसा निर्णय करना है जिसमें राष्ट्र सामूहिक रूप से हित हो

परन्तु खेद है कि प्रतिपक्षी दल के लोगों ने हड़ताल कराने की धमकी दी है। मैं इस बारे में इतना ही कहूंगा कि धमकी तो वही लोग दिया करते हैं जो कमजोर होते हैं और असफलता का डर होता है। परन्तु सरकार की यह नीति नहीं है कि वह किसी को कोई धमकी दे।

श्री म० ल० सोंधी : यदि हम इस सभा में कर्मचारियों के क्षोभ तथा निराशा की भावनाओं को व्यक्त नहीं करेंगे तो हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पायेंगे। सरकारी कर्मचारियों की निष्ठा में संदेह नहीं किया जा सकता। जब कभी देश पर आक्रमण हुआ तो सरकारी कर्मचारियों ने अपने आचरण से अपनी देश भक्ति का परिचय दिया। सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ते की मांग का कारण यह है कि वे ठीक जीवन निर्वाह कर सकें। यदि गजेन्द्रगड़कर आयोग की सिफारिशें क्रियान्वित न की गईं तो उनमें निराशा की भावना फैल जायेगी। प्रस्तावित हड़ताल का अभिप्राय चेतावनी देना नहीं है। हड़ताल करना मानवता के इतिहास में एक पवित्र अधिकार माना गया है। हम इस धमकी में नहीं आयेंगे कि हम देश भक्त नहीं हैं। हम पूर्णतया देश भक्त हैं और हड़ताल इस बात का सूचनांक है कि हम देश में उज्ज्वल भविष्य चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि यह सभा भविष्य में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिये जाने के प्रश्न पर महंगाई भत्ता आयोग के प्रतिवेदन पर, जो 6 जून, 1967 को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : On a point of order, Sir. This motion cannot be put to vote under rule 342.

अध्यक्ष महोदय : मतदानों के पश्चात यह मामला नहीं उठाया जा सकता।

दक्षिण-पूर्व रेलवे के हावड़ा-खड़गपुर उपनगरीय सेक्शन पर यात्रियों की सुरक्षा के बारे में वक्तव्य

STATEMENT Re : SECURITY OF PASSENGERS IN HOWARH-KHARAGPUR SECTION OF S. E. RAILWAY

रेलवे मन्त्री (श्री चे० मु० पुनाचा) : हावड़ा-खड़गपुर खण्ड पर बाऊरिया और देउलटी स्टेशनों के बीच यात्रियों को लूटने की छुट-पुट घटनायें हुई हैं और जून, 1967 से वहां विभिन्न कारणों से गाड़ियां रोकने की वजह से इस खण्ड पर बुरा प्रभाव पड़ा है। हावड़ा-खड़गपुर उपनगरी क्षेत्र में गुण्डागर्दी की घटनाएं होने के कारण अधिकांश सवारी गाड़ियों को रेलवे सुरक्षा विशेष दल की तीन कम्पनियों के पहरे में चलाना शुरू किया गया है। इन कम्पनियों को पश्चिम बंगाल राज्य पुलिस की सहायता के लिए लगाया गया है।

31.7.1967 को जब 'हवड़ा बन्द' आन्दोलन के सिलसिले में देउलटी और बाउरिया में एक सामूहिक प्रदर्शन किया गया था, तो उस समय हवड़ा के रेलवे पुलिस अधीक्षक द्वारा अधिक गाड़ियों को सरकारी रेलवे पुलिस के पहरे में चलाने की व्यवस्था की गयी।

31.7.1967 और 2.8.1967 को शरारती व्यक्तियों द्वारा यात्रियों पर आक्रमण करने के कारण 318 डाउन पुरी-हावड़ा सवारी गाड़ी पर उसका प्रभाव पड़ा। यात्रियों में से कुछ का सामान लूट लिया गया। गाड़ी के साथ चलने वाले सरकारी रेलवे पुलिस के सिपाहियों द्वारा तुरन्त कार्रवाई करके चुरायी गयी सम्पति बरामद कर ली गयी। उन्होंने तीन व्यक्तियों को रगें हाथों पकड़ लिया। 12 अन्य व्यक्ति बाद में पकड़ लिये गये।

4.8.1967 को पुरी-हवड़ा सवारी गाड़ी में एक और घटना हुई, जिसमें एक दैनिक समाचार पत्र 'जनशक्ति" के मैनेजर पर उस समय हमला किया गया, जब वह तस्करी के चावल को बरामद करने में सिविल सप्लाई विभाग के अधिकारियों की सहायता कर रहा था। सरकारी रेलवे पुलिस ने तुरन्त कार्रवाई करके 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया।

हवड़ा–खड़गपुर खण्ड पर बाउरिया और देउलटी के बीच, 27 किलोमीटर के फासले में इस तरह की कुल 4 घटनाएं हुई। पश्चिम बंगाल पुलिस प्राधिकारियों के अनुसार ये घटनाएं उड़िया विरोधी उपद्रवियों या गुण्डों द्वारा नहीं की गयी थीं। ये घटनाएं बहुत थोड़े समय तक रहीं और इनके फलस्वरुप गाड़ियों को अधिक देर तक नहीं रुकना पड़ा, अतः इनके स्वरूप को देखते हुए यह कहना कठिन है कि इन घटनाओं के पीछे किसी संगठित गिरोह का हाथ है। पश्चिम बंगाल पुलिस प्राधिकारियों ने इन्हें छुट-पुट घटनाएं माना है।

कई स्टेशनों पर पुलिस की टुकड़िया तैनात कर दी गयी हैं और खड़गपुर-हवड़ा खण्ड पर सभी डाक,एक्सप्रेस और सवारी गाड़ियां रेलवे सुरक्षा विशेष दल की सहायता से सरकारी रेलवे पुलिस के पहरे में चलायी जा रही हैं। 4.8.67 के बाद इस खण्ड पर कोई घटना नहीं हुई है।

9.8. 67 को कटक स्टेशन पर बहुत से विद्यार्थी जमा हो गये और उन्होंने पश्चिम बंगाल में गाड़ियों के रोके जाने के दौरान उड़िया लोगों की जान-माल के साथ कथित छेड़-छाड़ के विरुद्ध प्रदर्शन किया। 10.8. 67 को सुबह 10 बजकर 20 मिनट पर उड़ीसा के उप मुख्य मन्त्री कटक आ पहुंचे और उन्होंने कटक स्टेशन पर इकट्ठी भीड़ को पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री का संदेश और उड़ीसा के मुख्य मन्त्री की अपील पढ़कर सुनायी। पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने अपने संदेश में यात्रियों पर किये गये हमलों की निन्दा की थी और इस बात का आश्वासन दिया था कि पश्चिम बंगाल सरकार इस बात का पूरा प्रयत्न करेगी कि आगे इस प्रकार की घटनाएं न होने पायें।

कटक और उड़ीसा के दूसरे स्थानों में विद्यार्थियों के जो प्रदर्शन हुए उसके फलस्वरुप गाड़ियां कटक होकर न आ-जा सकीं। उनमें से कई गाड़ियों को रद्द कर देना पड़ा और कुछ गाड़ियोंको लम्बे रास्ते से हवड़ा और मद्रास भेजना पड़ा।

11.8.67 (शुक्रवार) के सुबह 5 बजकर 40 मिनट से गाड़ियां सामान्य रूप से कटक के रास्ते आने जाने लगी हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि इस सम्बन्ध में कुछ और जानकारी चाहिये तो प्रश्न पूछे जा सकते हैं।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मन्त्री महोदय द्वारा कही गई बातें सत्य नहीं है। केवल उड़िया लोगों के साथ ही बुरा व्यवहार किया गया है और महिलाओं के शरीर से साड़ियां उतार दी गई हैं। लूटी हुई सम्पत्ति वापिस दी जानी चाहिये और प्रतिकर दिया जाना चाहिये।

श्री प्र० के० देव (कालाहांड़ी) : यात्री गाड़ियों में सवार उड़िया लोग ही इस गुण्डागर्दी का शिकार हुए हैं। रेलवे सुरक्षाबल सुरक्षा रखने में बिल्कुल असफल रही है। इलाहबाद के अल्प संख्यक आयोग को इस मामले की तुरन्त जांच करनी चाहिये और उस सेक्शन पर यात्रा करने वाले सभी यात्रियों की सुरक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्री सुरेन्द्रपाल द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा) : ऐसी गतिविधियों के लिये जिम्मेवार तस्कर व्यापारी हैं। रेलवे मन्त्री को हावड़ा से उड़ीसा जाने वाले यात्रियों की सुरक्षा करनी चाहिये।

श्री स० कुण्डू (बालासोर) : हम सब इस गुण्डागर्दी की निन्दा करते हैं। इन दोनों राज्यों की सीमा पर रहने वाले तस्कर व्यापारी कठिनाई पैदा कर रहे हैं।

श्री श्री निवास मिश्र (कटक) : जिन लोगों को लूटा तथा तंग किया गया था, वे सरकारी रेलवे पुलिस के पास शिकायतें दर्ज कराने के लिये गये थे परन्तु उनकी शिकायतें नहीं सुनी गई और उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया।

श्री श्रद्धाकर सुपकार (सम्बलपुर): क्या माननीय मन्त्री इस बात की सत्यता के बारे में जांच करेंगे कि उनकी शिकायतें थाने में दर्ज नहीं की गई ?

श्री चे० मु० पुनाचा : कुछ यात्री वहां गुण्डागर्दी तथा अराजकता के शिकार हुए हैं। यह भी ठीक है कि उनमें से कुछ उड़िया लोग थे परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि यह एक विशिष्ट वर्ग के विरुद्ध संगठित आक्रमण था।

सरकारी रेलवे पुलिस ने तुरन्त कार्यवाही की है और मामले दर्ज किये है। कुछ अपराधियों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। 21 व्यक्ति पकड़े जा चुके हैं और उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक--जारी
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE BILL-Contd

गृह कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : इस विधेयक का उद्देश्य यह है

श्री इन्द्र जीत गुप्त (अलीपुर) मन्त्री महोदय किस विषय पर बोल रहे हैं ।

Is there my name in the order paper ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य बैठ जायें । माननीय सदस्य महगांई भत्ता सम्बन्धी प्रतिवेदन पर चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं । माननीय सदस्य चाहते हैं पहले इस विषय पर चर्चा की जाये तथा केन्द्रीय सुरक्षा बल विधेयक को लिया जाये । मैं समझता हूं कि इस विधेयक पर पहले चर्चा की जाये ।

Shri Madhu Limaye ; I rise on a point of order.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । यह विधेयक कार्य सूची में नहीं है । मध्यान्ह पश्चात जब यह विधेयक लाया गया, उस समय उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे । इस विधेयक के विरोध में कुछ माननीय सदस्यों ने व्यवस्था के प्रश्न उठाये थे कि यह सभा इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए क्षय नहीं है। मन्त्री महोदय को इन व्यवस्था प्रश्नों पर अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दी गई थी किन्तु इस पर कोई विनिर्णय नहीं दिया गया था ।

इस विधेयक के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 117 का उल्लंघन होता है । वित्तीय सापन में कहा गया है कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा की 7 बटालियनें तैयार करने पर 155.90 लाख रुपये व्यय होंगे । अतः यह एक धन विधेयक है और इसे राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना राज्य सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता है । किन्तु इस मामले में इस विधेयक राज्य में पुरःस्थापित किया गया है । यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

Shri Madhu Limaye : My point of order is that the introduction of this Bill is out of order because it is a Money Bill and the motion for consideration cannot come in Lok Sabha because such a motion is against the Articles 109, 110 and 117 of the Constitution of India. A money Bill can be introduced in Lok Sabha only. Under rule 74, after a Bill is introduced, one of the four motions, namely that the Bill be taken into concideration or referred to a Select Committee or referred to a Joint Committee or circulated to licit public opinion, can be move. Since the present motion is none of these, it is out of order.

श्री चन्द्र गोयल (चण्डी गढ़) : आपकी अनुपस्थिति में जब उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन थे, उस समय हमने आपत्ति उठाई थी कि यह सभा इस विधेयक पर विचार करने के लिये सक्षम नहीं है तो हमें आश्वासन दिया गया था कि इसके लिये कुछ समय दिया जायेगा । पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या सरकार इस प्रकार का कानून बनाने में सक्षम है। अब तक यह तर्क दिया जाता रहा है । पुलिस तथा शान्ति-व्यवस्था राज्यों के विषय हैं ।

सरकार ने 'पुलिस' शब्द के स्थान पर 'सुरक्षाबल' शब्दों का प्रयोग करके संविधान में फेर-बदल करने की कोशिश की है । इस विधेयक के उद्देश्यों का अध्ययन करने से यह बात बिलकुल स्पष्ट हो जाती है कि सरकार जिस सुरक्षा बल का गठन कर रही है उसे पुलिस के कार्य ही करने होंगे । इसलिये यह सूची II की प्रविष्टि I अथवा II के अन्तर्गत आ जाता है

और इस प्रकार यह एक राज्य विषय है। दूसरी बात यह कि विधेयक में 'उपक्रम' की जो परिभाषा दी गई है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि इसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा नियंत्रित उपक्रम ही नहीं अपितु विभिन्न राज्य सरकारों के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भी आ जाते हैं। अतः यह समवर्ती सूची के अन्तर्गत आ जाता है किन्तु इस सम्बन्ध में सरकार ने अभी तक किसी भी राज्य सरकार से परामर्श नहीं किया है। इन परिस्थितियों में यदि विधेयक पारित हो जाता है, तो वह उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाने वाली जांच के सामने नहीं टिक सकेगा। राज्य सरकारों ने केन्द्र से ऐसा कुछ नहीं कहा है कि वे अपने अपने राज्यों में "विधि और व्यवस्था" नहीं बनाये रख सकते हैं। इसलिये, जब तक इस बारे में उनकी अनुमति नहीं ली जाती, यह राज्य सरकारों पर एक गम्भीर आक्षेप है।

विधि मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : नियम 74, जिसका कि उल्लेख किया गया है, उन विधेयकों पर लागू होता है, जो आरम्भ में इस सभा में पेश किये जाते हैं। किन्तु प्रस्तुत विधेयक पहले इस सभा में पेश नहीं किया गया है। ऐसे विधेयकों पर जो पहले राज्य-सभा में पेश किये जाते हैं और बाद में लोक-सभा को भेजे जाते हैं, नियम 114 लागू होता है और उनको संयुक्त समिति आदि को भेजने का भी उपबन्ध है।

संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयकों की व्याख्या की गई है। ऐसा विधेयक जिसकी क्रियान्विति में राज्य का धन खर्च होता है, धन विधेयक नहीं है क्योंकि यदि आखिर-कार उसमें राज्य का भी धन खर्च होता है, तो उस खर्च का विनियोजन बाद में भारत की संचित निधि से ही किया जाता है। ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 117 (3) लागू होगा अर्थात ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य हो जाती है। इस मामले में ऐसी सिफारिश की गई है। अनुच्छेद 110 (1) (क) का प्रयोग किसी कर को लगाने, समाप्त करने, भुकतान करने, उसमें फेर बदल करने या उसे विनियमित करने अथवा धन उधार लेने आदि के सम्बन्ध में किया जाता है।

सभा में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो प्रश्न उठाया गया है वह है विधायिनी सक्षमता के बारे में, यह एक ऐसा मामला है, जिस पर न तो अध्यक्ष ही अपना विनिर्णय दे सकते हैं और न सभा ही बहुमत से निर्णय कर सकती है। इस प्रश्न पर कि प्रस्तुत विधेयक राज्यों की विधान मंडलीय सक्षमता के अन्तर्गत आता है अथवा नहीं, केवल न्यायालय ही निर्णय दे सकते हैं।

इस मामले की जांच की गई है और (विधेयक के प्रायोजक अर्थात) सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि विधेयक समवर्ती सूची के अन्तर्गत नहीं आता और इसलिये यह राज्य-सूची का विषय नहीं है। हालांकि राज्य-सूची अर्थात 1957 की सूची 2 में रेलवे पुलिस के सम्बन्ध में एक विशेष प्रवृष्टि है, फिर भी संसद ने रेलवे सुरक्षा बल के सम्बन्ध में एक कानून बनाया है। यह सूची 1 में प्रवृष्टि 32 के कारण ही संभव हो सका है जिसमें संघीय सम्पत्ति तथा उससे प्राप्त होने वाले राजस्व के बारे में उपबन्ध है। इन विधायिनी सूचियों में प्रवृष्टि का यह अर्थ है कि यह एक ऐसा मामला है कि जिस पर संसद अथवा विधान सभा को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। यदि प्रवृष्टि प्रथम सूची अर्थात संघ सूची, में है, तो संसद कानून

बना सकती है क्योंकि प्रविष्टि 32 में संघ सम्पत्ति का उल्लेख किया गया है। फिर भी यदि कोई प्रश्न उठाया जाता है, तो उसका निर्णय न्यायालय ही कर सकेगा। अतः इन परिस्थियों में मेरा अनुरोध यह है कि विधेयक पर आगे चर्चा करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : इस सभा तथा उस सभा द्वारा पारित किये गये प्रत्येक विधेयक पर खर्च होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं, इसके अलावा, अध्यक्ष की विनिर्णय देने की सक्षमता का यहां पर कोई सम्बन्ध नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ प्रश्न उठाये हैं इसलिये मुझे कुछ कहना ही पड़ेगा और उसके बाद वह विनिर्णय हो जायेगा, मैं विधि मन्त्री की उक्ति से चाहे सहमत हूं अथवा नहीं, किन्तु इस सम्बन्ध में मेरी विनिर्णय देने की सक्षमता का, कि यह राज्य का विषय है या केन्द्र का, प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि न्यायालय उसे अध्यक्ष के विनिर्णय के बाद भी रद्द कर सकता है।

जहां तक इन प्रश्नों का सम्बन्ध है जो कि इस बारे में माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये हैं, उनके सम्बन्ध में राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करली गई है। विधेयक को सभा में पेश किया जा सकता है और मन्त्री महोदय अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

Shri Madhu Limaye : Sir, I leave the House as a protest against your ruling in this regard, and I have nothing to say about as to whether it falls within the legislative competance of Parliament or the Legislative Assembly. But it does not come within the purview of Rule 75. Since you have allowed the House to proceed with the discussion of the Bill, I leave the House

इसके पश्चात श्री मधुलिमये तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गये।

Shri Madhu Limaye and some other hon. Members then left the House.

श्री विद्या चरण शुक्ल : हम इस अधिनियम के अन्तर्गत जिस नये औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन करने जा रहे हैं, वह एक ऐसा सुप्रशिक्षित आरक्षी तथा सुरक्षा बल है जिसे कारखानों के प्रवेश-द्वारों तथा आहते का ही सुरक्षा कार्य नहीं सौंपा जाता अपितु जिसे सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की मूल्यवान मशीनों और प्रतिष्ठानों की देख-भाल का कार्य सौंपा जाता है।

{ **उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker *in the chair* }

अब तक सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में आरक्षी तथा सुरक्षा कर्मचारियों को सुनियोजित ढंग से नहीं भर्ती किया गया है और इनकी देख-भाल करने का कार्य भी बहुत अच्छा नहीं रहा। जब सुरक्षा बल बन जायेगा तो उसे संयुक्त प्रशिक्षण ऊंचे दर्जे का साज-सामान आदि भी उपलब्ध होगा। हमारा विचार अनेक सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में आग बुझाने की सेवाओं को भी एकीकृत करने का है।

इस विधेयक के उपबन्ध आमतौर पर रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम के समान ही है जिसे इस सभा ने 10 वर्ष पहले पारित किया था, मैं सभा का अधिक समय न लेकर यह अनुरोध करूंगा कि वह राज्य-सभा की सिफारिश से सहमत हो।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

'कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 6 जून, 1967 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई और 8 जून, 1967 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा कतिपय औद्योगिक उपक्रमों की उत्तम रक्षा तथा सुरक्षा हेतु केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नामक बल के गठन तथा विनियमन करने तथा कतिपय अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिए लोक-सभा के निम्नलिखित 30 सदस्यों को नाम-निर्देशित किया जाये, अर्थात :—

श्री विद्याधर वाजपेयी, श्री डी० बलराम राजू, श्री राजेन्द्रनाथ बरुआ, श्री अनिल कुमार चन्दा, श्री निर्मल चन्द्र चटर्जी, श्री जे० के० चौधरी, श्री राम धनी दास, श्री जार्ज फरनेंडीज, श्री इन्द्रजीत गुप्त श्री नारायण स्वरूप शर्मा, श्री एस कण्डप्पन, श्री किन्दर लाल, श्री श्रीनिवास मिश्र, श्री जितेन्द्र बहादुर सिंह, श्री विक्रम चन्द्र महाजन, श्री ए० नेसामनी, श्री दयाभाई परमार, श्री मनीभाई जे० पटेल, श्री मनुभाई पटेल, चौधरी रणधीर सिंह, श्री एस० के० सम्बधन श्री पी० जी० सेन, श्री शशि रंजन, श्री विद्याचरण शुक्ल, श्री एस० एम० सिद्धय्या, श्री एन० के० सोमानी, श्री तयप्पा हरि सोनावने, श्री आर० उमानाथ, श्री तन्नेटि विश्वनाथम और श्री यशवन्तराव चव्हाण।

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि संयुक्त समिति को राज्य सभा के अगले सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देने की हिदायत दी जाये।"

Shri Sheo Narain (Basti) : The Bill provides for establishment of a force which will look after the safety of propery in public undertakings. It is a timely measure which will go a long way in dealing effectively with anti-national and anti-social elements which had been rising their head in the past. It is necessary to clothe the Government with adequate powers.

Shri Shrichand Goel : It is gratifying that the Bill is being referred to a Select Committee. There are many shortcomings in the Bill and it is hoped that the Select Committee will consider them.

The Public Undertakings are either running at a huge loss or are earning very little profit. An improvement is needed in their working.

It is regrettable that the Government is not paying due attention towards the labour problem in the public sector. They are provided neither with housing accommodation, nor they have a share in the profits or management. It is feared that the proposed security force might be used to supress the demands of the workers. It is necessary that a provision is made in the Bill that the force will neither be used to supress the legitimate demands of labour nor against their legitimate right to resort to strike.

The officers-in-charge of this Force should set an example for their subordinates. We find that high officials take undue advantage of their position. They mis-use official status for their personal ends. This type of practice should shunned, because it has very bad effect on workers and other employees.

The labour laws will not be applicable to persons serving in this Force. In this way the service of the employees of this Force has been made very in secure. Their lot will be at the mercy of high officials. The Select Committee should consider this aspect. I want that all labour laws should be applicable in this Force.

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया (जालोर) : आज हमारा देश बहुत कठिन समय में से जा रहा है। देश के विभिन्न भागों में अराजकता की स्थिति बनी हुई है। लोगों को गुमराह करके गड़बड़ फैलाने की कोशिश की जा रही है और मजदूरों को आन्दोलन करने के लिये उकसाया जा रहा है। बंगाल में मजदूरों को गुमराह करने और गड़बड़ होने के उदाहरण हम जानते हैं। देश में फैली हुई अराजकता पर नियन्त्रण करने के लिये सरकार को कानून बनाना चाहिये। रेलवे सुरक्षा बल अपना कार्य निभाने में सफल नहीं हुई है। मैं चाहता हूँ कि यह नया बल अपना कार्य कुशलतापूर्वक करेगा।

सरकार उपक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिये इस बल की व्यवस्था की जा रही है। मैं चाहता हूँ कि गैर-सरकारी क्षेत्रों के बड़े-बड़े उपक्रमों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को अपने ऊपर लेनी चाहिये। ये कारखाने भी तो राष्ट्रीय महत्व के काम में लगे हुए हैं। सरकार को इसी कानून में व्यवस्था करनी चाहिये या एक नया कानून बनाना चाहिये जिससे गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों के लिये भी सुरक्षा प्रबन्ध किया जा सके। या क्या सरकार गैर-सरकारी क्षेत्र को भी ऐसा बल बनाने को कहेगी? मैं इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का समर्थन करता हूं।

श्री विद्या चरण शुक्ल : माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दिये हैं। इन पर संयुक्त समिति में विचार किया जायेगा। मैं सभा से प्रार्थना करता हूं कि विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपा जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 6 जून, 1967 को हुई अपनी बैठक में स्वीकृत प्रस्ताव में की गई और 8 जून, 1967 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा कतिपय औद्योगिक उपक्रमों की उत्तम रक्षा तथा सुरक्षा हेतु केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नामक बल के गठन तथा विनियमन करने तथा कतिपय अन्य विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो तथा संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिए लोक-सभा के निम्नलिखित 30 सदस्यों को नाम निर्देशित किया जाये, अर्थात् :—

श्री विद्याधर वाजपेयी, श्री डी० बलराम राजू, श्री राजेन्द्र नाथ बरुआ, श्री अनिल कुमार चन्दा, श्री निर्मल चन्द्र चटर्जी, श्री जे० के० चौधरी, श्री राम धनी दास, श्री जार्ज

फरनेन्डीज, श्री इन्द्रजीत गुप्त, श्री नारायण स्वरूप शर्मा, श्री एस० कण्डप्पन, श्री किन्दर लाल, श्री श्रीनिवास मिश्र, श्री जीतेन्द्र बहादुर सिंह, श्री विक्रम चन्द महाजन, श्री ए० नेसामनी, श्री ढाह्या भाई परमार, श्री मनीभाई जे० पटेल, श्री मनुभाई पटेल, चौधरी रणधीर सिंह, श्री एस० के० सम्बन्धन, श्री पी० जी० सेन, श्री शशि रंजन, श्री विद्याचरण शुक्ल, श्री एस० एम० सिद्धय्या, श्री एन० के० सोमानी, श्री तयप्पा हरि सोनावने, श्री आर० उमानाथ, श्री तेन्नेटि विश्वनाथम, श्री यशवन्तराव चव्हाण ।

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि संयुक्त समिति को राज्य सभा के अगले सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देने की हिदायत दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

भारतीय शासकीय रहस्य (संशोधन) विधेयक

INDIAN OFFICIAL SECRETS (AMENDMENT) BILL

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा भारतीय शासकीय रहस्य (संशोधन) विधेयक पर विचार करेगी ।

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि भारतीय शासकीय रहस्य अधिनियम 1923 में संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, विचार किया जाये ।"

यह एक साधारण विधेयक है जिसके द्वारा 1923 के अधिनियम में संशोधन किया जायेगा । इस संशोधन द्वारा बहुत से अपराधों को संज्ञेय अपराध बनाया जा रहा है । देश-द्रोही कार्यवाहियों पर अब अधिक नियन्त्रण हो सकेगा और दण्ड दिया जा सकेगा ।

राज्य-सभा ने इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया है और लगभग सभी दलों ने इसका समर्थन किया है । मैं आशा करता हूं कि इस सदन में भी इसको समर्थन प्राप्त होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि भारतीय शासकीय रहस्य अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाये ।"

Shri Randhir Singh (Rohtak) : I support this Bill. This Bill seeks to amend the sections 3 and 5 of the principal act. There are some anti-national elements in our country who indulge in nefarious activities and cause harm to the country. This Bill provides for deterrent punishment to offenders. This law has been made more effective by making section 337 of the Code of Criminal Procedure applicable in this.

Shri Shri Chand Goel (Chandigarh) : I support this Bill. There certain elements in our country whose activities are very dangerous for the national security. Some persons working in the All India Congress Committee office in New Delhi were recently held on charges of anti-national activities. Our two neighbouring countries have aggressive designs against us. They are eager to harm us in every possible way. In such circumstances it is very essential to have a stringent law. This Bill should have been brought long back. Now I hope, Government will be vigilant.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। सरकार गुप्त जानकारी को गुप्त रखने में असफल रही है। फरक्का बांध के बारे में जानकारी पाकिस्तान को मिल गई है। इस कांड में इस सदन के एक भूतपूर्व सदस्य का हाथ था। और बाद में वह अभियोग वापिस ले लिया गया। छोटे कर्मचारियों को महगाई भत्ता तो दिया नहीं जाता परन्तु उन्हें रहस्यों को गुप्त रखने को कहा जाता है। मैं गृह-कार्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि वायु सेना के उस अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है जो पाकिस्तानियों को जानकारी देते रंगे हाथों पकड़ा गया था। इसी प्रकार हमारे देहरादून में छपे नक्शे चीनियों के पास पहुंचाये गये थे।

ये मान चित्र चीनियों के पास पाये गये हैं। यह मान चित्र चीनियों के पास कैसे गये, इस बात को सरकार अच्छी तरह जानती है। वर्ष 1948 में भारतीय सर्वेक्षण के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ का प्रतिनिधित्व करते हुए मैंने सरकार को इस बात से अवगत कराया था कि हमारे महा सर्वेक्षक श्री विलसन का एक भाई पाकिस्तान में अधिकारी है, अतः इस व्यक्ति को इस पद पर नहीं रखा जाना चाहिये। प्रादेशिक श्रम आयुक्त श्री हरि सिंह ने भी मेरे कथन का समर्थन किया था। परन्तु इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं की गई, तथा इस अधिकारी को इसी पद पर रखा गया।

सुनिल दास तथा मोहित चौधरी के मामले से यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार गोपनीयता के मामले में पूर्णतया असफल रही है। इस मामले से इस सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री अतुल्य घोष सम्बन्धित हैं। उनके विरुद्ध जांच की जानी चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि सरकारी अधिकारी गोपनीयता कैसे रख सकते हैं, जबकि अखिल भारतीय कांग्रेस समिति द्वारा उन पर दबाव डाला जाता है तथा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के कर्मचारी उनके कार्यालयों में जाकर गुप्त जानकारी का पता लगा लेते हैं। मेरा निवेदन है कि गोपनीयता को बनाये रखने के लिये उचित कार्यवाही की जानी चाहिये तथा मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस बारे में उचित कार्यवाही करेंगे।

Shri Prakash Vir Shastri (Hapur) : I am in total agreement with the view that those who divulge our secrets must be given vigorious punishment. But at the same time I would appeal to the Ministers that they should themselves exercise some restrain over them, because it has been often observed that the secret decisions taken at the meetings of the Cabinet are leaked out. No doubt Government servants should be dealt with an iron hand, if they are found guilty of divulging official secret, but that is no solution of the whole problem because there are certain persons in the Government itself who are not observing official secrecy.

I am aware of the fact that there are certain clubs in Delhi, where top Government officers go after their office hours for recreation. In these clubs certain big companies

and foreign interests have deputed their representatives. Whose duty is to have contacts with these officials and get secret information from them. So while stressing the point that vigorious punishment should be given to those Government servants who divulge official secrets, I would request that the Ministers should also exercise some control over them so that official secrets are not divulged by them.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं सरकार के साथ इस विधेयक की उस भावना से पूर्णतया सहमत हूं कि किसी भी प्रकार की जासूसी करने वाले व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिये । परन्तु विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों के विवरण से यह प्रतीत होता है कि विधेयक का केवल यही उद्देश्य नहीं है । ऐसा उपबन्ध किया जा रहा है कि कुछ विशेष मामलों में 14 वर्ष तक की सजा दी जा सकती है, किन्तु कुछ छोटे मामले भी होते हैं । ऐसी सभी बातें जिन्हें जासूसी कहा जा सकता है, इस विधेयक के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आ जाती है । मैं समझता हूं कि ऐसा उपबन्ध करने से निरपराध व्यक्तियों को भी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि सरकार के लिये यह प्रमाणित करना आवश्यक नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष ने जासूसी की है । सरकार इस विधेयक के मूल सीमित उद्देश्य को इस प्रकार व्यापक रूप नहीं दे सकती है । अतः मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि ऐसे उपबन्ध न किये जायें, जिनसे निरपार्ध व्यक्तियों को कठिनाई हो ।

अधिनियम के अन्तर्गत सभी अपराधों को हस्तक्षेप्य तथा गैर-जमानती घोषित किया गया है । अतः यदि किसी को जासूसी करने के मामले में गिरफ्तार किया जाता है अथवा उसे जासूसी के मामले में संदिग्ध समझा जाता है तो उसे जेल में बन्द कर दिया जायेगा और उसकी कोई जमानत नहीं हो सकेगी । उसके सम्बन्ध में प्रमाण देने का सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा । इन सब बातों से यह पता चलता है कि यह मामला जैसा दिखाई देता है, वास्तव में वैसा नहीं है, बल्कि वास्तव में यह उससे कहीं बहुत ज्यादा गम्भीर है । जासूसी के नाम पर हर चीज को इस विधेयक के क्षेत्र अधिकार में नहीं लिया जा सकता ।

खण्ड 4 की भाषा सुसंबद्ध नहीं है । इसका कुछ भी विवेचन किया जा सकता है । इस बात का निर्णय कौन करेगा कि किस विशेष मामले में भारत की अखंडता और प्रभुसत्ता का उल्लंघन हुआ है । अतः हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि निरपराध नागरिकों को अनावश्यक रूप से न सताया जाये । इससे राजनीतिक विरोधियों को सताया जा सकता है । इस विधेयक के अनुसार तो किसी भी व्यक्ति को देश-द्रोही कह कर कठोर से कठोर सजा दी जा सकती है ।

यह सर्व विदित है कि हमारे सरकार से राजनैतिक मतभेद हो सकते हैं । इस अधिनियम के अन्तर्गत जिस किसी के सरकार से मतभेद होंगे, उसे अपराधी घोषित करके सजा दी जा सकती है । अतः मंत्री महोदय को यह आश्वासन देना चाहिये कि इस विधेयक का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा ।

Shri Kamalnayan B jaj (Wardha): Mr. Deputy Speaker Sir, I fully support the bill, because to-day we are placed in such a situation when internal place of the country is being disturbed day in and day out. We are marching towards anarchy. It is no secret that anti national elements are active. So in the present circumstances it is essential that

this bill should be passed, because it is absolutely essential to have such a measur for the sake of national security and internal peace.

I don't feel any pleasure in supporting this Bill. But on the other hand I feel some what ashamed that even today there are certain elements in the country, which are working against our national interest. We have to check those elements. There is no way out. National security is of paramount importance. So I am duty bound to support this Bill,

श्री म० ला० सोंधी (नयी दिल्ली) : गोपनीयता के बारे में प्रशासनिक सुधार की बहुत दिनों से आवश्यकता है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहता हूं कि प्रत्येक दस्तावेज पर गोपनीय लिखने से गोपनीयता का महत्व नहीं बढ़ता है, अपितु इसका महत्व कम हो जाता है। भविष्य में हमारे सामने कठिन समय आ रहा है। हो सकता है सरकार के वर्तमान संकट को देखते हुए अन्य देश भारतीय क्षेत्र की बड़े पैमाने पर जासूसी करने का प्रयत्न करें। ऐसी स्थिति में हमें उस जासूसी के विरुद्ध अपनी सुरक्षा के लिये पूर्ण व्यवस्था करनी होगी। क्योंकि इस विधेयक का उद्देश्य इस ध्यय की पूर्ति करना है, इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं। फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के पास होने के बाद सरकार को जो शक्ति प्राप्त होगी, उसे लागू करने के लिये कल्पना और दृढ़ता की आवश्यकता होगी। मैं समझता हूं कि इससे भी अधिक आवश्यकता इस बात की होगी कि शीघ्र कार्यवाही की जाये। इसलिये मैं सरकार से अपील करता हूं कि वे इस बात को महसूस करें कि इन शक्तियों का प्रयोग ठीक ढंग से किया जाये जिससे देश की प्रादेशिक अखण्डता की सुरक्षा की जा सके।

श्री श्रीनिवास मिश्र (कटक) : इस बात का कोई विरोध नहीं कर सकता कि जासूसी की रोका जाना चाहिये। जहां तक सिद्धान्त रूप में इस विधेयक के उद्देश्य का प्रश्न है, मैं उससे सहमत हूँ, परन्तु मैं जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास जासूसी को रोकने के लिये इस समय पर्याप्त शक्तियां नहीं हैं। इस विधेयक से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार वर्तमान शक्तियों से सन्तुष्ट नहीं है और वह अधिक से अधिक शक्तियां प्राप्त करना चाहती है।

मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर एक नई धारा का उपबन्ध करके सरकार कम्पनी के उन निदेशकों के विरुद्ध कार्यवाही करना चाहती है, जिनके कर्मचारी प्रतिरक्षा से सम्बन्धित कोई बात या प्रभुसत्ता या अखण्डता या ऐसी ही कोई बात शत्रु को बताते हैं। इस बात की व्यवस्था की गई है कि यदि निदेशकों की लापरवाही के कारण कोई सूचना किसी को बता दी जाती है, उस अवस्था में भी उसके लिये निदेशक उत्तरदायी होंगे। यदि यह सिद्धान्त निदेशकों पर लागू किया गया है, तो इसे मंत्रियों पर भी लागू किया जाना चाहिये, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण मिल जाते हैं, जब मंत्रालयों से महत्वपूर्ण सूचना शत्रु को बताई गई है।

अधिनियम की धारा 3 में संशोधन करने का प्रस्ताव है जिससे ऐसे रहस्योद्घाटन जिससे भारत की प्रभुसत्ता और अखण्डता पर राज्य की सुरक्षा पर या विदेशी राष्ट्रों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्धों पर कोई कुप्रभाव पड़ने की सम्भावना हो "को भी शामिल किया गया है। परन्तु अखण्डता का कोई अर्थ नहीं है, जब तक उसमें "राज्य क्षेत्र" शब्द न जोड़ दिया जाये और आगे" या विदेशी राष्ट्रों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध शब्द का प्रयोग न किया जाये। शत्रु हमारे उत्पादन में दिलचस्पी रखता है, क्योंकि हमारे उत्पादन का प्रभाव हमारी सुरक्षा पर

पड़ता है। इस धारा में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उसमें कौन-कौन सी बातें शामिल है। अतः इसे स्पष्ट किया जाना चाहिये और साथ-साथ इस बात को भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि इस उपबन्ध से समाचार-पत्रों और जनता की राय की अभिव्यक्ति में कोई रुकावट पैदा न हो।

"विदेशों के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध" शब्दों का जो यहां पर प्रयोग किया गया है वह अस्पष्ट है। अतः इन शब्दों को यहां से निकाल दिया जाना चाहिये। इस बात को अवश्य देखा जाना चाहिये कि इस उपबन्ध से समाचारपत्रों और जनता द्वारा राय बताये जाने पर कोई रोक न लगे। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि उसे वह वर्तमान शासकीय रहस्य अधिनियम, भारत प्रतिरक्षा अधिनियम और उनके नियमों के अन्तर्गत जो शक्तियां हैं उनका प्रयोग करें और इस विधेयक को पारित करने के लिये जोर न दे।

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया हैं। बहुत से सदस्यों ने कुछ मामलों का उल्लेख भी किया था। श्री स० मो० बनर्जी ने मोहिन चौधरी के मामले का उल्लेख किया था। फिर यह बात मेरी समझ में नहीं आई है कि इस संशोधन विधेयक का विरोध क्यों किया जा रहा है क्योंकि यह विधेयक तो ऐसे लोगों पर मुकदमा चलाये जाने के लिये और उन्हें कठोर दण्ड दिलाये जाने के लिये पुरः स्थापित किया गया है जो शासकीय रहस्योद्घाटन करते हैं और राष्ट्र के हित को हानि पहुँचाते हैं।

श्री नम्बियार ने भी कुछ मामलों का उल्लेख किया था उन्होंने पूछा था कि हम इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराधों को गैर-जमानती क्यों बना रहे हैं। मैं इस का कारण बताता हूं। हम यह इस लिये कर रहे ताकि अपराधी पहले की तरह कानून के चंगुल से बच न सकें जैसे वे पहले बच जाया करते थे जब अपराध जमानत योग्य होते थे। इस बात को स्पष्ट करने के लिये मैं एक उदाहरण दूंगा। अमीर हुसैन नामक एक व्यक्ति पर रहस्योद्घाटन करने के सिलसिले में 1963 में इस अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाया गया था क्योंकि उस समय यह अपराध जमानत योग्य था इस लिये उसे जमानत पर छोड़ दिया गया। जब उसे जमानत पर छोड़ दिया गया तो वह भाग कर पाकिस्तान चला गया और हमें उस मामले का कुछ न कर सके क्योंकि वह मिल नहीं रहा था। इस विधेयक को ला कर हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ऐसी घटनायें पुनः न हो सकें।

श्री नम्बियार ने ऐसा आश्वासन दिये जाने के लिये प्रार्थना की थी कि इस अधिनियम के उपबन्धों का प्रयोग राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ नहीं किया जायेगा। मैं कहना चाहता हूं कि हमने पहले भी ऐसा कभी नहीं किया और मैं यह पुनः आश्वासन देता हूं कि भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं होगा।

अतः मैं सिफारिश करता हूं कि सभा इस विधेयक को स्वीकार करे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है।

"कि भारतीय शासकीय रहस्य अधिनियम, 1923 में संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे । खण्ड दो पर श्री प्र० के० देव का संशोधन है । ऐसा प्रतीत होता है कि वह अनुपस्थित है । अतः मैं इस खण्ड को सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

Shri Tulshidas Jadhav (Baramati) : Sir, I want to speak on clause 2.

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि वह खण्ड दो पर बोलना चाहते हैं । यदि वह सामान्य रूप से कुछ कहना चाहते हैं तो वह तीसरे पठन के समय कह सकते हैं ।

Shri Tulshidas Jadhav : Sir, I want to submit that this clause is the very soul of this Bill. The present situation of our country is very critical and in this situation this Bill is very necessary. The provisions of this Bill should be effectively enforced so that our secrets are not leaked out to the enemies. It should also be the duty of the leaders of the opposition to see that when they expose the Government they do not leak out such secrets which our enemies can make use of.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 2 was added to the Bill

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 4

श्री श्रीनिवास मिश्र (कारवा) मैं अपने संशोधन संख्या 2, 3, 4, और 6 प्रस्तुत करता हूं । मुझे आशा है कि इन संशोधनों को स्वीकार करने में सभा को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2, 3 और 4 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendment Nos. 2, 3 and 4 were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : क्या श्री श्रीनिवास मिश्र अपने संशोधन संख्या 6 को प्रस्तुत किये जाने के लिये जोर दे रहे हैं ।

श्री श्रीनिवास मिश्र : जी नहीं, मैं जोर नहीं दे रहा हूं ।

संशोधन संख्या 6, सभा की अनुमति से वापिस लिया गया
Amendment No 6 was, by leave withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 4 was adopted to the Bill

खण्ड 5

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैं अपने संशोधन संख्या 8, 10, और 11 प्रस्तुत करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 8 10 और 11 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

Amendments Nos. 8, 10 and 11 were put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 5 was added to the Bill

खण्ड 6 से 11 विधेयक में जोड़ दिये गये

Clauses 6 to 11 were added to the Bill

खण्ड 12

श्री श्रीनिवास मिश्र : मैं अपना संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करता हूँ ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 12 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

Amendment No 12 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 12 was added to the Bill

खण्ड 13 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 13 was added to the Bill

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

Clause I, the Enacting formula and the Title were added to the Bill

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हू 'कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

गन्ना पेरने के गत मौसम मे चीनी उद्योग के अपेक्षाकृत कम समय कार्य करने के परिणाम स्वरुप उत्पन्न स्थिति के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. SITUATION ARISING OUT OF WORKING OF SUGAR INDUSTRY FOR SHORTER PERIOD DURING THE CRUSHING SEASON

{ श्री गु० सिंह ढिल्लो पीठासीन हुए
Shri G. S. Dhillon *in the chair* }

Shri K. N. Pandey (Padrauna) : To-day there is crisis in sugar industry. Every one in the country is feeling shortage of sugar. There are two hundred sugar factories in which 10 lakh workers are working. The policy of the Government has been in favour of increasing the crushing capacity of sugar mills keeping in view the requirements of sugar in the country but on the other hand sufficient attention has not been paid towards payment of remunerative prices of sugarcane to the farmers which could encourage more production of sugarcane and ensure the supply of same to sugar mills. Consequently acreage of sugarcane has been reduced from 67 lakh acres to 59 or 60 lakh acres. The reason is that prices fixed by the Government are uneconomic. Many farmers have started producing foodgrains istead of sugarcane, which is more economic. As a result thereof the production of sugar which was 35 lakh metric tons in 1965-66 has been reduced to 22 lakh metric tons. In case some remedial measures are taken to avert this crisis, the production of sugar will be reduced to 15 lakh metric tons by next year.

I have come to know that Government is contemplating to decontrol sugar partially. But control and decontrol cannot go together. The best thing would be that we should leave this matter to sugar mills and let them negotiate with farmers for fixation of price of sugarcane. If there is a control on sugar there should be a price control on Khandsari and Gur also.

No doubt the consumer feels relief becuase of control on sugar but he is not in a position to get sufficient quantity of sugar on controlled price to meet his requirements. Therefore he has to purchase the sugar at Rs. 4.00 per kilogram from the black market. If Government have imposed control on sugar, it is the duty of the Government to see that it should be available to the consumer in sufficient quantity. But as the Government has failed to do so, the control on sugar industry should be lifted.

The plight of workers in sugar industry is miserable. If required quantity of sugarcane will not be made available to the sugar mills, a stage may come when they may not get sugarcane at all. The consumer, farmer and the worker are being crushed by the present policy of the Government.

श्री मु० अ० खाँ (कासगंज) : सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

सभापति महोदय : घंटी बजायी जा रही है । सभा में अब भी गणपूर्ति नहीं है । अतः सभा अब अनिश्चित काल के लिये स्थगित की जाती है ।

इसके पश्चात लोक सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned sine die.